भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन गठित)

(Constituted under I.M.C.C. Act, 1970)

वार्षिक प्रतिवेदन और परीक्षित लेखा

(1990-91)

Annual Report and Audited Accounts

(1990-91)

1ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली-110055
1E/6, Swami Ramtirth Nagar, New Delhi-110055

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन गठित)

वार्षिक प्रतिवेदन और परीक्षित लेखा
(1990–91)

1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली-110055

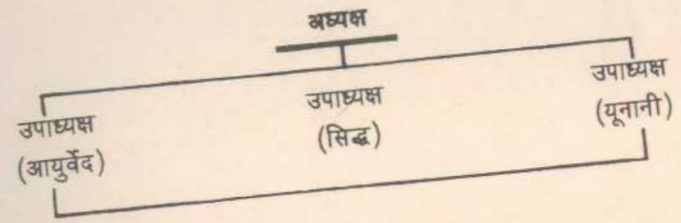

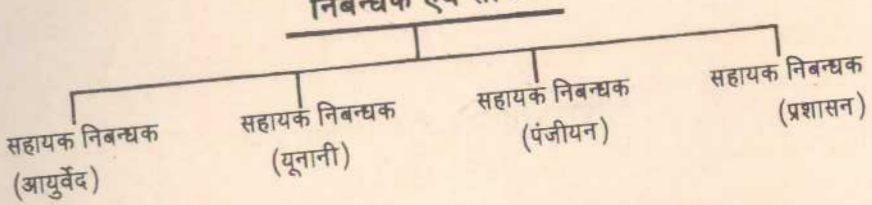

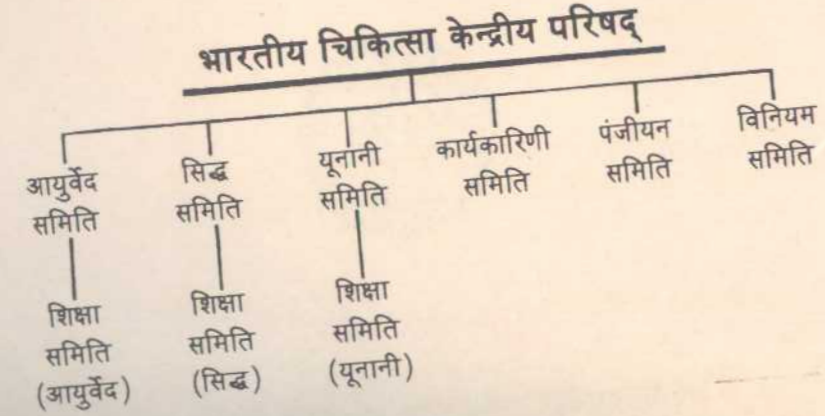

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110055

वर्ष 1990–91 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है। प्रथम परिषद् का गठन 1971 में किया गया था। भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 7–5–84 में भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा परिषद् का पुनर्गठन 1984 में किया गया था।

केन्द्रीय परिषद् के मुख्य प्रयोजन निम्न हैं :–

(i) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।

(ii) भारतीय चिकित्सा की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।

(iii) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।

(iv) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यास को विनियमित करना और चिकित्साभ्यासियों के आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सहित विभिन्न विनियमों को जारी एवं लागू करती रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लगभग समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं, ये महाविद्यालय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर जिनमें पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सम्मिलित हैं का अनुसरण कर रहे हैं।

परिषद् की संरचना

केन्द्रीय परिषद् के निम्न सदस्य हैं :–

आयुर्वेद

1. डा० डी० राधाकृष्ण मूर्ति
2. डा० पी० बी० शतकोपाचार्य
3. डा० सुकुमार भट्टाचारजी
4. डा० देवव्रत नारायण सिंह
5. डा० महेश्वर पाण्डे
6. डा० इन्द्रमोहन झा
7. डा० अलख नारायण सिंह
8. डा० जनार्दन एन० दवे
9. डा० दिनेश आर० पटेल
10. डा० कृष्ण चन्द्र शर्मा
11. डा० गुलशन राय शर्मा
12. कविराज भूपेन्द्र नाथ गुप्त
13. वैद्य गौरीशंकर द्विवेदी
14. वैद्य पंचैया होशमठ
15. डा० ए० सी० राहुल कुमार
16. डा० के० माधवन नायर
17. वैद्य पं० महेशदत्त शर्मा शास्त्री
18. डा० प्रसन्न कुमार जैन
19. वैद्य हरिकृष्ण एस० जोशी
20. डा० एस० आई० नागराल
21. डा० स्वप्नेश्वर पण्डा
22. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
23. वैद्य मदन मोहन पुष्करणा
24. वैद्य उदय शंकर शर्मा
25. वैद्य गोकुलेन्द्र शर्मा
26. डा० व्ही नारायण स्वामी
27 डा० रामप्रकाश गुप्ता
28. डा० हुकम चन्द शर्मा
29. डा० प्रेमदत्त शर्मा
30. डा० महेन्द्र दत्त शर्मा
31. डा० आनन्द राय
32. डा० पी० शेषी रेड्डी
33. वैद्य के० के० पाण्डे
34. डा० कनकसिंह खीमाभाई झाला
35. वैद्य शामलाल वशिष्ठ (शास्त्री)
36. डा० एल० छिक्काराजना
37. डा० एस० वी० सावदी
38. डा० के० पी० श्रीकुमारी अम्मा
39. डा० सच्चिदानन्द उपाध्याय
40. डा० ए० के० दुलानी
41. डा० जी० एल० शर्मा
42. वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छांगाणी
43. वैद्य श्रीकृष्ण गोबिन्द फड़के
44. डा० कृष्ण भट्ट केंतजा
45. वैद्य राधाकृष्ण श्रीधर वारे
46. प्रो० एल० एम० सिंह
47. वैद्य शिवकुमार मिश्र
48. वैद्य जगन्नाथ मिश्र
49. डा० पी० के० देवनाथ
50. प्रो० आर० सी० चतुर्वेदी
51. वैद्य हरिनारायण स्वामी
52. प्रो० वी० जे० ठक्कर
53. डा० रमेश मिश्र
54. आचार्य प्रियव्रत शर्मा
55. डा० एस० टी० गूजर
56. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
57. कविराज नानक चन्द शर्मा
58. वैद्य के० एस० वारियर
59. डा० बी० ए० हीरेमठ
60. डा० सत्यपाल गुप्ता
61. डा० डी० एल० नारायण
62. वैद्य के० सदाशिव शर्मा
63. वैद्य चन्द्र शेखर गौड़
64. डा० पी० सी० भट्टाचार्य

सिद्ध

65. डा० जी० अन्नास्वामी
66. डा० सी० पी० रामनाथन
67. डा० के० पलानीचामी

यूनानी

68. हकीम मो० अशरफ करीम
69. डा० मदन सरुप गुप्ता
70. हकीम मोहम्मद उमर
71. हकीम धर्मचन्द
72. डा० दौलतराम भराज
73. डा० बन्सीलाल पण्डित
74. डा० अब्दुर्रहमान
75. हकीम अब्दुल मोबिन खान
76. हकीम वेदप्रकाश शर्मा
77. हकीम मो० इकबाल खान
78. प्रो० हकीम सैय्यद् खलीफथ्थुल्लाह
79. डा० एम० टी० खान
80. हकीम मो० अहमद लारी
81. डा० सैय्यद शाजी हैदर
82. डा० एस० के० खादरी
83. प्रो० हकीम मो० तैय्यब
84. हकीम एम० ए० रज्ज़ाक
85. हकीम अब्दुल हमीद
86. हकीम फैयाज आलम
87. हकीम फैजान अहमद
88. डा० जे० डी० सन्दरवाले

पदाधिकारी

परिषद् के निम्न पदाधिकारी हैं :–

1. प्रो० हकीम सैय्यद खलीफथ्थुल्लाह — अध्यक्ष
2. वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छांगाणी — उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)
3. हकीम एम० ए० रज्ज़ाक — उपाध्यक्ष (यूनानी)
4. डा० एस० आई० नागराल — सभापति, शिक्षा समिति (आयुर्वेद)
5. प्रो० हकीम मोहम्मद तैय्यब — सभापति, शिक्षा समिति (यूनानी)
6. डा० प्रसन्न कुमार जैन — सभापति, पंजीयन समिति
7. वैद्य पं० महेशदत्त शर्मा शास्त्री — सभापति, विनियम समिति

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9 (1) के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य समितियां हैं :–

1. आयुर्वेद समिति
2. सिद्ध समिति
3. यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित और खण्ड (ग) के अधीन मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त हैं।

धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के उपाध्यक्ष क्रमशः ऊपर संदर्भित समितियों के सभापति हैं।

ऐसे सामान्य या विशिष्ट निर्देशों जो समय-समय पर केन्द्रीय परिषद् देती है प्रत्येक समिति आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति जैसा भी प्रकरण हो से संबंधित किसी भी विषय को केन्द्रीय परिषद् की सक्षमता में करने के लिए समर्थ है।

केन्द्रीय परिषद् ने परिषद् के विभिन्न कार्यों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन निम्न समितियों का भी गठन किया।

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचे में केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम 1976 की संख्या 5 के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया था। समिति भारतीय चिकित्सा की तीनों पद्धतियों अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी से प्रतिनिधित्व की जाती है।

कार्यकारिणी समिति के निम्न सदस्य हैं :

सभापति 1. प्रो० हकीम सैय्यद खलीफथ्थुल्लाह (अध्यक्ष)
सदस्य 2. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी (उपाध्यक्ष-आयुर्वेद)
3. हकीम एम० ए० रज्ज़ाक (उपाध्यक्ष-यूनानी)
4. डा० एस० टी० गूजर
5. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
6. डा० रामप्रकाश गुप्ता
7. डा० के० माधवन नायर
8. प्रो० हकीम मो० तैय्यब
9. हकीम वेद प्रकाश शर्मा
10. डा० के० पलानीचामी

विनियम समिति

समय-समय पर यथा आवश्यक केन्द्रीय परिषद् के विभिन्न विनियमों को बनाने तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन विनियम समिति का गठन किया गया।

विनियम समिति के निम्न सदस्य हैं

सभापति 1. वैद्य पं० महेश दत्त शर्मा शास्त्री
सदस्य 2. वैद्य मदन मोहन पुष्करणा
3. वैद्य हरिनारायण स्वामी
4. डा० स्वप्नेश्वर पण्डा
5. वैद्य पंचैया होशमठ
6. डा० महेन्द्र दत्त शर्मा
7. डा० जनार्दन एन० दवे
8. डा० पी० बी० शतकोपाचार्य
9. डा० महेश्वर पाण्डे
10. डा० गुलशन राय शर्मा
11. डा० डी० राधाकृष्णमूर्ति
12. डा० जे० डी० सन्दरवाले
13. डा० बन्सीलाल पण्डित
14. डा० अब्दुर्रहमान
15. हकीम धर्मचन्द

पंजीयन समिति

परिषद् ने विभिन्न चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में उनका समावेश करने सम्बन्धी मामलों को देखने तथा इस विषय में अनुशंसाएं करने के लिए पंजीयन समिति का गठन किया। पंजीयन से सम्बन्धित विषयों पर विचार करना भी इस समिति के अधिकार में है।

पंजीयन समिति के निम्न सदस्य हैं :

सभापति 1. डा० प्रसन्न कुमार जैन
सदस्य 2. प्रो० आर० सी० चतुर्वेदी
3. डा० कृष्ण चन्द्र शर्मा
4. डा० हरिकृष्ण एस० जोशी
5. डा० पी० के० देवनाथ
6. डा० प्रेमदत्त शर्मा
7. डा० ए० सी० राहुल कुमार
8. डा० डी० आर० पटेल
9. डा० बी० ए० हीरेमठ
10. डा० रामप्रकाश गुप्ता
11. डा० इन्द्र मोहन झा
12. डा० मदन सरूप गुप्ता
13. डा० एम० टी० खान
14. हकीम मो० उमर
15. डा० दौलतराम भराज
16. हकीम फैज़ान अहमद

शिक्षा समितियां (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी)

शिक्षा समितियां आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्यों को करने में सक्षम हैं। आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी शिक्षा समिति के निम्न सदस्य हैं :–

आयुर्वेद

सभापति 1. डा० एस० आई० नागराल
सदस्य 2. वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छांगाणी (उपाध्यक्ष आयुर्वेद)
3. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
4. कविराज नानक चन्द शर्मा
5. डा० राम प्रकाश गुप्ता
6. डा० आनन्द राय
7. डा० सत्यपाल गुप्ता
8. वैद्य एस० जी० फड़के
9. डा० हुकम चन्द शर्मा
10. वैद्य शिवकुमार मिश्र
11. वैद्य जगन्नाथ मिश्र
12. प्रो० प्रियव्रत शर्मा
13. डा० रमेश मिश्र
14. कविराज बी० एन० गुप्त
15. डा० व्ही नारायण स्वामी

सिद्ध

सदस्य 1. डा० के० पलानीचामी
2. डा० जी० अन्ना स्वामी

यूनानी

सभापति 1. प्रो० हकीम मोहम्मद तैय्यब
सदस्य 2. हकीम एम० ए० रज्जाक, (उपाध्यक्ष यूनानी)
3. हकीम सैय्यद शाजी हैदर
4. हकीम मो० अशरफ करीम
5. हकीम अब्दुल मोबिन खान
6. हकीम अब्दुल हमीद
7. हकीम फैयाज आलम
8. हकीम एस० के० खादरी
9. हकीम मो० इकबाल खान
10. हकीम मोहम्मद अहमद लारी
11. डा० मदन सरूप गुप्ता

वर्ष 1990–91 के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गई :

1.	केन्द्रीय परिषद्	—एक
2.	आयुर्वेद समिति	—एक
3.	सिद्ध समिति	—दो
4.	यूनानी समिति	—एक
5.	कार्यकारिणी समिति	—तीन
6.	शिक्षा समिति (आयुर्वेद)	—एक
7.	शिक्षा समिति (यूनानी)	—दो
8.	विनियम समिति	—एक
9.	पंजीयन समिति	—एक
10.	समस्त राज्यों के भारतीय चिकित्सा पद्धति के निदेशक राज्य मंडलों के अध्यक्ष और पंजीयक	—एक

केन्द्रीय परिषद् की वार्षिक बैठक नई दिल्ली में 21 और 22 फरवरी, 1991 को सम्पन्न हुई। केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष के दौरान सम्पन्न विभिन्न समितियों की बैठकों के कार्यवृत्तों को दृढ़ किया। केन्द्रीय परिषद् ने निम्न अनुशंसाएं की–

आयुर्वेद

1. केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि आयुर्वेद महाविद्यालयों में 1–7–89 से पूर्व नियुक्त अध्यापकों की पदोन्नति विनियम 1989 द्वारा प्रभावी नहीं होगी और पदोन्नति के मामले में ऐसे अध्यापकों के लिए स्नातकोत्तर अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।

   यह भी निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त निर्णय समस्त राज्य सरकारों में परिचालित किया जाये और विहित विनियम 1989 में उपर्युक्त के समावेश हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये।

2. केन्द्रीय परिषद् ने स्पष्टीकरण को अनुमोदित किया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के पाठ्य विवरण में समाविष्ट प्रकरण विषय जो एलोपैथी के लगते हैं, को विषय में अधिक और उपयोगी ज्ञान प्रदान करने के विचार से सम्मिलित किया गया है क्योंकि चिकित्सा विज्ञान की किसी अन्य शाखा के ज्ञान को प्रतिबन्धित अथवा सीमित नहीं किया जा सकता।

3. केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि केरल सरकार से आयुर्वेद महाविद्यालयों के शिक्षक वर्ग के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करने के लिए अनुरोध किया जाये।

4. केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम में प्रसूति तंत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव संस्था के प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार और सम्बन्धित विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही परिषद् को भेजा जाये।

5. केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि समस्त राज्य सरकारों को पुनः एक कड़ा पत्र भेजा जाये कि आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रवेश के समय लिए जाने वाले प्रतिव्यक्ति शुल्क को समाप्त करने हेतु प्रभावी कदम उठाएं और प्रवेश केवल गुणक्रम के आधार पर ही किया जाये।

6. केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि चूंकि केन्द्रीय परिषद् ने 1979 से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विहित किया हुआ है, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे द्वारा प्रदत्त आयुर्वेद पारंगत उपाधि को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में वर्ष 1980 के पश्चात् सम्मिलित किए जाने हेतु संस्तुत नहीं किया जा सकता।

7. केन्द्रीय परिषद् ने ए० एल० एन० राव मैमोरियल आयुर्वेद मैडीकल कालेज, कोपा में सत्र 1990–91 के लिए प्रविष्ट बैच को अनुमोदित करने का निर्णय लिया। कमियां मार्च 1991 तक दूर की जानी चाहिए। परिदर्शन द्वारा तथ्यों की जांच के पश्चात् ही सत्र 1991–92 के लिए प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

8. केन्द्रीय परिषद् ने केवल कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए आयुर्वेद वाचस्पति व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षा से सम्बन्धित विहित विनियमों के अधीन आयुर्वेद स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का कोई प्रावधान नहीं है।

ऐलोपैथी अस्पतालों में ऐलोपैथिक डाक्टरों द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के छात्रों को शल्य का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 31–7–90 को आयोजित बैठक में हुए विमर्श को केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया।

यह अनुभव किया गया कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा शल्य में क्रियात्मक प्रशिक्षण देने हेतु ऐलोपैथी अस्पतालों में एलोपैथी डाक्टरों द्वारा की गई व्यवस्था के कारण उत्पन्न समस्या पूर्णरूपेण स्थानीय है। राज्य सरकार को पहले ही परामर्श दिया गया था कि अपने अस्पतालों में केवल सक्षम आयुर्वेद स्नातकों द्वारा ही शल्य में क्रियात्मक प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाये शल्य शालाक्य विभाग के उपयुक्त विकास का भी सुझाव दिया गया था। परन्तु इस सुझाव पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित आयुर्वेद पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण में शल्यतंत्र (सर्जरी) में अध्यापन और क्रियात्मक प्रशिक्षण का प्रावधान पहले से ही है। इस पाठ्यक्रम के आधार पर ही आयुर्वेद स्नातकों का चिकित्साभ्यास के लिए पंजीयन होता है। आयुर्वेद स्नातकों द्वारा देश में शल्य के चिकित्साभ्यास पर कोई प्रतिबन्ध अथवा रुकावट नहीं है।

शल्य शालाक्य तंत्र विषय में अध्यापन कार्यक्रम विशेषकर क्रियात्मक प्रशिक्षण को लागू करने में आने वाली कठिनाईयों को विचार में रखते हुए निम्न सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया जो समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उनकी तह तक जायेंगे और तीन माह के भीतर उसके लिए रास्ता और साधन सुझाएंगे। समिति को स्नातकोत्तर कार्यक्रम का पुनरावलोकन करने का कार्य भी सौंपा गया–

1. डा० एस० पी० गुप्ता
2. डा० जी० एल० शर्मा
3. डा० एल० एम० सिंह
4. डा० कृष्ण भट्ट केंतजा
5. डा० के० के० पाण्डे

केन्द्रीय परिषद् ने वर्तमान में आयुर्वेद स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि में परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया।

विवेकानन्द नर्सिंग होम, राहुरी को आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने और संचालित करने की अनुमति दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि परिदर्शकों द्वारा इंगित कमियां यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई हेतु संस्था को भेज दी जाये। एक वर्ष पश्चात् अनुपालन प्रतिवेदन मांगा जाये और अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संस्था द्वारा की गई प्रगति का निर्धारण एवं सत्यापन किया जाये।

आरोग्य मंडल हडपसर, पुणे द्वारा चलाए जा रहे आयुर्वेद महाविद्यालय को आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने और संचालित करने की अनुमति दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि परिदर्शकों द्वारा इंगित कमियां महाविद्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जायें। एक वर्ष पश्चात् अनुपालन प्रतिवेदन मांगा जाये और अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संस्था द्वारा की गई प्रगति का निर्धारण एवं सत्यापन किया जाये।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, चण्डीगढ़ के परिदर्शन प्रतिवेदन पर विचार किया गया। परिदर्शकों की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद उपाधि पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा महाविद्यालय को अनुमोदित किया जा सकता है बशर्ते महाविद्यालय के प्राधिकारी चरणबद्ध रूप में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित मानदण्डों के अनुसार शिक्षक वर्ग और साज-सुविधा की कमियां दूर करेंगे और पांच वर्ष की अवधि में संस्थान को उस क्षेत्र के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करवाएंगे।

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि बिहार और दरभंगा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में कुछ अनियमितताएं हैं। परिषद् द्वारा बार-बार पत्र भेजे जाने और चेतावनी दिए जाने पर भी दोनों विश्वविद्यालय और राज्य सरकार विनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उपर्युक्त परिस्थितियों के अधीन केन्द्रीय परिषद् ने सर्वसम्मति से उपयुक्त कार्रवाई प्रारम्भ करने का संकल्प लिया।

केन्द्रीय परिषद् ने संकल्प लिया कि समस्त राज्य सरकारों को यह सूचित करते हुए एक पत्र लिखा जाये कि यदि आयुर्वेद महाविद्यालय के किसी छात्र का अन्य विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण होता है तो सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अधिवास प्रमाण-पत्र न मांगा जाये।

सेठ गोबिन्द जी राव जी आयुर्वेद महाविद्यालय, शोलापुर का परिदर्शन प्रतिवेदन देखने के पश्चात् केन्द्रीय परिषद् ने महाविद्यालय द्वारा कमियों को दूर करने और त्रुटियों को पूरा करने तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश निलम्बित करने का संकल्प किया।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों की दयनीय स्थिति को अंकित किया और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम आवश्यकताओं की प्रति संलग्न करते हुए उनकी पूर्ति हेतु सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग, निदेशक आयुर्वेद और कुलसचिव, कानपुर विश्वविद्यालय को एक कड़ा पत्र भेजने का निर्णय लिया।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित विनियमों के अनुरूप स्नातकीय/स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम स्तरों एवं अपेक्षाओं के निर्धारण हेतु वर्ष के दौरान निम्न संस्थाओं/आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया :–

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	पूर्व स्नातक/ स्नातकोत्तर
	उत्कल विश्वविद्यालय		
1.	गोपबन्धु आयुर्वेद महविद्यालय, पुरी।	9–4–90	स्नातकोत्तर
	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय		
2.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पपरोला	18–6–90	स्नातकीय
	कुवेम्पू विश्वविद्यालय		
3.	ए० एल० एन० राव मैमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय, कोप्पा।	2–7–90	स्नातकीय
	पंजाब राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति संकाय		
4.	श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, चंडीगढ़	9–8–90	स्नातकीय
	डा० एम० जी० आर० विश्वविद्यालय		
5.	वेंकटरमन आयुर्वेद महाविद्यालय, मद्रास	27–8–90	स्नातकीय
	आन्ध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय		
6.	एस० वी० आयुर्वेद महाविद्यालय, तिरूपति	7–9–90	स्नातकीय
	मंगलौर विश्वविद्यालय		
7.	श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर आयुर्वेद महाविद्यालय उडूपी	18–9–90	स्नातकीय
	पूना विश्वविद्यालय		
8.	विवेकानन्द नर्सिंग होम शिवाजीनगर राहुरी (अहमदनगर)	26–10–90	स्नातकीय
9.	महाराष्ट्र आरोग्य मंडल, हडपसर (पूना)	28–10–90	स्नातकीय
	अमरावती विश्वविद्यालय		
10.	श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुकुंज आश्रम	22–12–90	स्नातकीय
11.	विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय, अमरावती	23–12–90	स्नातकीय
12.	श्री राधाकृष्ण तोशनीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय, अकोला।	24–12–90	स्नातकीय
13.	डी० एम० एम० आयुर्वेद महाविद्यालय, यवतमाल	23–12–90	स्नातकीय

यूनानी

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित यूनानी तिब्ब स्नातकोत्तर शिक्षा से सम्बन्धित विनियमों में परीक्षा एवं निर्धारण प्रावधान के अधीन परीक्षाओं का विवरण एवं अंकों का निर्धारण नहीं किया गया है।

केन्द्रीय परिषद् ने माहिरे-तिब्ब-एम० डी० (यूनानी) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यविवरण और परीक्षा की योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए निम्न सदस्यों की एक उप-समिति का गठन किया :–

(1) प्रो० हकीम एम० तैय्यब
(2) हकीम मो० अहमद लारी
(3) हकीम अब्दुल मोबिन खान
(4) हकीम एस० के० खादरी

केन्द्रीय परिषद् ने यूनानी चिकित्सा में उपचर्याओं के लिए तीन माह का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए निम्न सदस्यों की एक उप समिति का गठन किया :–

(1) हकीम एस० के० खादरी
(2) हकीम फैयाज़ आलम
(3) हकीम बन्सी लाल पण्डिता

केन्द्रीय परिषद् ने अनुभव किया कि महिला अभ्यर्थियों के लिए स्थान के आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यूनानी स्नातकोत्तर शिक्षा में अध्ययन पाने के इच्छुक महिला अभ्यर्थियों की संख्या सीमित है और इच्छुक अभ्यर्थियों को संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रायः प्रवेश मिल जाता है।

केन्द्रीय परिषद् ने यूनानी चिकित्सा के विनियमों से सम्बन्धित डा० एम० जी० आर० विश्वविद्यालय के यूनानी चिकित्सा अध्ययन मंडल की बैठक के कार्यवृत्तों को देखने के पश्चात् निर्णय लिया कि निम्न सदस्यों की एक उप-समिति डा० एम० जी० आर० विश्वविद्यालय से प्राप्त विनियमों की जांच करे और शिक्षा समिति (यूनानी) की अगली बैठक में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करे :–

(1) प्रो० हकीम मो० तैय्यब
(2) हकीम मो० अहमद लारी
(3) हकीम अब्दुल मोबिन खान
(4) हकीम एस० के० खादरी

केन्द्रीय परिषद् ने सहमति दी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को परामर्श दिया जाये कि अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरूप डिमोस्ट्रेटर के पदनाम को प्रवक्ता और प्रवक्ता के पदनाम को वरिष्ठ प्रवक्ता पदनाम में परिवर्तन अपनाये।

राजपूताना आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय को शैक्षिक सत्र 1991–92 तक छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई। संस्था को कमियों की सूचना भेजी जाये। कमियों की पूर्ति के निर्धारण हेतु अगले वर्ष एक और परिदर्शन करवाया जाये। राजस्थान विश्वविद्यालय को भी तद्नुसार सूचित किया जाये।

सल्फिया यूनानी मेडीकल कालिज, दरभंगा को अगले दो वर्षों शैक्षिक सत्र 1992–93 तक यूनानी स्नातकीय पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि इंगित कमियों को दो वर्षों के भीतर दूर किया जाये और संस्था द्वारा किए गए सुधार का केन्द्रीय परिषद् द्वारा सामयिक पुनः निर्धारण किया जायेगा।

राजस्थान यूनानी महाविद्यालय, जयपुर को सत्र 1990–91 से 10 अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि छात्रों के प्रवेश से पूर्व वे सुनिश्चित करें कि सभी शर्तें विशेषकर छात्रों के प्रवेश के समय छात्र-शैय्या अनुपात का अनुसरण करते हुए अस्पताल में शय्याओं की संख्या को पूरा करते हैं।

केन्द्रीय परिषद् ने यूनानी समिति की अनुशंसा को स्वीकार किया कि महाराष्ट्र सरकार और सम्बन्धित विश्वविद्यालय को यह सूचित करते हुए पत्र लिखा जाये कि केन्द्रीय परिषद् को नागपुर के ताज तिब्बी महाविद्यालय में यूनानी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते यूनानी तिब्ब में स्नातकीय शिक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम मानदण्डों का अनुसरण कड़ाई से किया जाये।

यह निर्णय लिया गया कि चूंकि केन्द्रीय परिषद् द्वारा सात विभागों की पद्धति अनुशंसित की गई है, अतः विश्वविद्यालय में यूनानी/भारतीय चिकित्सा पद्धति संकाय के अधीन सात अध्ययन मंडलों का गठन होना चाहिए।

केन्द्रीय परिषद् ने गहरी चिन्ता के साथ अंकित किया कि आन्ध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा प्राग-तिब्ब और यूनानी तिब्ब के मुख्य पाठ्यक्रम में प्रवेश से सम्बन्धित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित शिक्षा का माध्यम और परीक्षा सहित मानदण्डों का अनुसरण नहीं कर रहा है। केन्द्रीय परिषद् पुनः सख्ती से दोहराती है कि इस मामले में विश्वविद्यालय और आन्ध्र प्रदेश सरकार से पुनः अनुरोध किया जाये। यह निर्णय लिया गया कि इस विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों का शीघ्र परिदर्शन करवाया जाये।

इस बीच (चूंकि यह मामला कोर्ट में है) सचिव को परामर्श दिया जाता है कि वह केन्द्र सरकार के स्थायी परामर्श दाता श्री आई० कोट्टी रेड्डी से अनुरोध करें कि वह आन्ध्र-प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा से सम्बद्ध डा० अब्दुल हक यूनानी मेडीकल कालेज द्वारा चलाए जा रहे प्राग्-तिब्ब और बी० यू० एम० एस० पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जिसका मामला पिटिशन संख्या 395 वर्ष 1990 आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में पहले ही लम्बित है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की ओर से प्रति शपथ-पत्र दर्ज करें।

केन्द्रीय परिषद् ने यूनानी समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार किया कि यूनानी तिब्ब के प्राग्-तिब्ब पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए केन्द्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित समस्त प्राच्य अर्हताओं के सत्यापन हेतु विवरण मंगवाया जाये कि क्या ये अर्हताएं मैट्रिक/हायर सैकण्डरी के समकक्ष हैं या नहीं।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का कार्यालय यूनानी उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय उर्दू की जानकारी में एकरूपता लाने के सम्बन्ध में शेष महाविद्यालयों से यथाशीघ्र सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न करे और उसके लिए लिखे और तत्पश्चात् समस्त आवश्यक सूचना देते हुए एक विवरणिका तैयार की जाये और उसे विमर्श एवं पुनर्विचार हेतु शिक्षा समिति (यूनानी) की अगली बैठक में रखा जाये।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित विनियमों के अनुरूप स्नातकीय शिक्षा देने के लिए न्यूनतम स्तरों एवं आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु वर्ष के दौरान निम्न संस्थाओं/यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया :–

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर
	राजस्थान विश्वविद्यालय		
1.	राजपूताना आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बी कालेज, जयपुर	29–7–90	स्नातकीय
2.	राजस्थान यूनानी मेडीकल कालेज, जयपुर	29–12–90	स्नातकीय
	नागपुर विश्वविद्यालय		
3.	ताज तिब्बिया कालेज एवं रशीदिया अस्पताल, नागपुर	28–6–90	स्नातकीय
	बिहार विश्वविद्यालय		
4.	सल्फिया यूनानी मेडीकल कालेज एवं अस्पताल, दरभंगा	17–7–90	स्नातकीय
5.	जैड एच यूनानी मेडीकल कालेज एवं अस्पताल, सीवान	9–2–91	स्नातकीय

सिद्ध

1. केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने 14 से 16 फरवरी 1990 को सम्पन्न अपनी बैठक में सिद्ध चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संशोधित पाठ्यविवरण अनुमोदित किया। सिद्ध चिकित्सा के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम ब्रांच रसवथम अरिग्नर (रसवथम डिप्लोमा) में कार्मिक पद्धति को सम्मिलित नहीं किया गया।

यह संकल्प लिया गया कि सिद्ध स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पाठ्यविधि के अधीन प्रत्येक विभाग के लिए कार्मिक पद्धति की अनुशंसा पहले से ही की गई है। शाखा रसवथम अरिग्नर रसवथम डिप्लोमा (एक विशेष शाखा है और इसके लिए रसायन-शास्त्र के प्रवक्ता का एक पद और बायो रसायन शास्त्र के प्रवक्ता का एक पद आवश्यक है। इस पाठ्यविधि के पृष्ठ-9 पर कार्मिक पद्धति के अधीन टिप्पणी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम् 1970 की धारा 36 के अधीन यथा अपेक्षित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सिरप्पू मरूथुवम और कुझंथई

मरुथुवम विषयों का विवरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वीकृति के लिए भेजा था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उपर्युक्त प्रस्तावित विषयों पर कुछ टिप्पणियां भेजी थी जिन पर केन्द्रीय परिषद ने विचार किया और दोनों विषयों को केन्द्रीय परिषद् द्वारा आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विहित पाठ्यविवरण की तुलना में संशोधित किया। उपर्युक्त विषयों का अनुमोदित विवरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया।

सामान्य

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि चिकित्सा संहिता पर एक राष्ट्रीय विचारगोष्ठी आयोजित की जाय और भारतीय चिकित्सा पद्धति, अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साभ्यासियों और चिकित्सा विधियों को आमन्त्रित किया जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने भारत सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति की शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु 20-21 नवम्बर, 1990 को कार्यशाला के संचालन द्वारा किए गए प्रयत्नों की सराहना की और निर्णय को यथाशीघ्र लागू करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया।

केन्द्रीय परिषद् ने बड़े खेद के साथ अंकित किया कि विभिन्न राज्यों के मोटरगाड़ी विभाग भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में सम्मिलित मान्य अर्हता के धारकों द्वारा ड्राइवर और कंडक्टर को जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र को मान्यता नहीं देते हैं। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् यह इंगित करना चाहती है कि यह भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की धारा 17 की उपधारा (2) (ढ़) का उल्लंघन है। यह भी अंकित किया गया कि कुछ अन्य शासकीय और अन्य विभाग जैसे रेलवे, जीवन बीमा निगम, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, विश्वविद्यालय भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के योग्य चिकित्साभ्यासियों द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र को स्वीकार नहीं करते हैं।

परिषद् इसे गम्भीरता से लेती है और भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करे ताकि भारतीय चिकित्सा पद्धति के योग्य चिकित्साभ्यासियों को भविष्य में इस कठिनाई का सामना न करना पड़े।

अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकारों को पत्र लिखने के लिए प्राधिकृत किया गया कि वे अपने राज्यों की विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धति की बैठकों में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों को अवश्य आमन्त्रित करें।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि भारतीय चिकित्सा के विस्तृत हित में केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् और केन्द्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद् के क्रियाकलापों की जानकारी केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों को भी दी जाय। इन अनुसंधान परिषदों से अनुरोध किया जाय कि वे अपने न्यूज बुलेटिन वार्षिक प्रतिवेदन आदि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों को भेजें। केन्द्रीय परिषद् ने स्वीकार किया कि कार्यसूची मद के साथ परिदर्शन प्रतिवेदन का सारांश भी सदस्यों को भेजा जाय ताकि उन्हें परिदर्शन प्रतिवेदन में दिए गए तथ्यों की जानकारी हो।

यह अंकित किया गया कि 10 एवं 11 मार्च, 1989 की बैठक में केन्द्रीय परिषद् द्वारा पारित निम्न प्रस्ताव आवश्यक कार्रवाई हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया:-

"देश में स्थित भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारों के अधीन चल रहे ऐलोपैथ के बड़े-बड़े अस्पतालों तथा/विशेषतःअखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक साधन सुविधा सम्पन्न वार्ड आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिए भी स्थापित किया जाए ताकि वहां सुयोग्य आयुर्वेदज्ञों की देखरेख में गंभीर रोगियों को आयुर्वेद की चिकित्सा सुलभ कराई जाय।"

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने 14-5-90 की बैठक में संस्थान के अस्पताल प्रबन्ध मंडल द्वारा पारित निम्न प्रस्ताव प्रेषित किया :-

"मंडल ने निर्णय लिया कि स्थान, स्टाफ और वित्त की कमी के कारण विशेष आयुर्वेद निदान के लिए एक सुसज्जित वार्ड प्रदान करना संभव नहीं है। तथापि संस्थान दोनों पद्धतियों के सहयोग के लिए खुला है।"

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि दोनों पद्धतियों के सहयोग के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की मंशा की जानकारी केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् एवं केन्द्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद् को दी जाय।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा दिनाकं 14-15 जनवरी, 1991 को केन्द्रीय यूनानी शोध संस्थान, हैदराबाद में भारतीय चिकित्सा के निदेशकों, भारतीय चिकित्सा के राज्य मंडलों/परिषदों के अध्यक्षों/प्रधानों एवं निबन्धकों, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी समिति एवं पंजीयन समिति के सदस्यों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी। बैठक का उद्घाटन प्रोफैसर शकीलुर्रहमान केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार, प्रो० हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह, अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा किया गया। संयुक्त बैठक में भारतीय चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विचार हुआ। उपर्युक्त संयुक्त बैठक में की गई अनुशंसाएं निम्न हैं :-

1. भारतीय चिकित्सा की मान्य चिकित्सा अर्हताओं में एकरूपता-भारतीय चिकित्सा के राज्य अधिनियमों में संशोधन

यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) जो सम्पूर्ण भारत में प्रसारित है के लागू होने के पश्चात् से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्रांक वी० 26025/6/80-ए०इ० दिनांक 24/27 जून 1980 द्वारा समस्त राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों से यह जांच करने का अनुरोध किया था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में चिकित्साभ्यास और शिक्षा से सम्बन्धित मामलों में उनके राज्य अधिनियमों के सम्बन्धित प्रावधान उपर्युक्त केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं। यदि नहीं हैं तो राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने राज्य अधिनियमों को केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप लाने के प्रश्न पर विचार करें और मंत्रालय को सूचित करें।

जब वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ और भारतीय चिकित्सा की मान्य चिकित्सीय अर्हताओं की अनुसूचियों को भी केन्द्रीय अधिनियम की अनुसूचियों के अनुरुप नहीं लाया गया तो

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्रांक सं० 11013/2/81- ए० ई० दिनांक 26-3-82 के द्वारा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश से अनुरोध किया कि वे अपने राज्य अधिनियमों को संशोधित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें ताकि उनमें निहित अर्हताओं की अनुसूचियों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन मान्य अर्हताओं के अनुरूप लाया जा सके। यद्यपि केन्द्रीय अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् राज्य अधिनियमों की अनुसूचियां अतिक्रामित समझी जाती हैं, राज्य अधिनियमों में संशोधन करना आवश्यक और विवेकपूर्ण समझा गया ताकि मान्य चिकित्सीय अर्हताओं की अनुसूची और उनके प्रावधानों को केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप लाया जा सके। अत: यह अत्यन्त आवश्यक था कि इस सम्बन्ध में भ्रम और त्रुटियों का परिहार करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जावें। उपर्युक्त पत्र में भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर तैयार करने के लिए राज्य अधिनियमों में संशोधन नहीं किए जाने के द्वारा उत्पन्न होने वाली अन्य जटिलताओं को भी विस्तार से स्पष्ट किया था।

विभिन्न राज्यों के निदेशकों और राज्य मंडलों के अध्यक्षों/सभापतियों/निबन्धकों ने विचार-विमर्श में भाग लिया और अपने विचार एवं कठिनाइयां व्यक्त की। तत्पश्चात् निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :-

संसद एवं राज्य विधानसभाओं द्वारा यथा ज्ञात केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियमों के विशिष्ट प्रावधानों को लागू करने में सामने आई विभिन्न कठिनाइयों पर विचार करते हुए संयुक्त बैठक ने सर्व सम्मति से भारतीय चिकित्सा की राज्य पंजिका में नामावलिगत चिकित्साभ्यासियों के नाम रखने, अर्हताओं की अनुसूचियों की संरचना, परामर्शी और प्रतिनिधित्व स्तर इत्यादि जैसे मूल प्रावधानों में परिवर्तन किए बिना प्रत्येक राज्य अधिनियम को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अनुसार लाने के लिए आवश्यक संशोधन के कार्य को करने का निर्णय लिया। अत: सर्वसम्मति से संकल्प किया गया कि वर्तमान राज्य मंडलों, परिषदों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की शाखा के रूप मे कार्य करना चाहिए और इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों पर दबाव डालती हैं।

अत: संयुक्त बैठक ने सुझाव दिया कि राज्य अधिनियमों में आवश्यक परिवर्द्धन/निष्कासन का कार्य करने और भारतीय चिकित्सा पद्धति की अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को शीघ्र राज्य मंडलों/परिषदों की क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन करना चाहिये।

2. अपंजीकृत/अयोग्य व्यक्तियों द्वारा भारतीय चिकित्सा के अनाधिकृत चिकित्साभ्यास पर रोक

यह अंकित किया गया कि दिनांक 15-8-71 से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 14 के लागू होने के पश्चात् से भारत में विश्वविद्यालय/ मंडल अथवा अन्य चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में समाविष्ट चिकित्सीय अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता हैं। इनमें से किसी भी अर्हता के धारक उक्त अधिनियम के अधीन दत्त अधिकारों और प्राधिकारों के पात्र हैं।

कोई अन्य अर्हता जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं है किसी भी उद्देश्य के लिए मान्य नहीं है। वे व्यक्ति जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में सम्मिलित मान्य चिकित्सीय अर्हताओं को धारण करते हैं भारतीय चिकित्सा में चिकित्साभ्यास करने हेतु भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में पंजीयन/नामांकन के पात्र हैं। एक व्यक्ति एक राज्य में नामांकन के आधार पर दूसरे राज्य में चिकित्साभ्यास नहीं कर सकता।

इसपर भी यह देखा गया है कि काफी संख्या में अयोग्य व्यक्ति जो किसी भी राज्य मंडल/परिषद् से पंजीकृत नहीं हैं, विभिन्न राज्यों,केन्द्र शासित प्रदेशों में भारतीय चिकित्सा में अनधिकृत रूप से चिकित्साभ्यास कर रहें हैं। यह समस्या राज्य के प्राधिकारियों द्वारा समुचित जांच की कमी के कारण उत्पन्न हुई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य मंडलों/परिषदों द्वारा मान्य चिकित्सीय अर्हताओं में एक रूपता नहीं बनाए रखने के कारण यह समस्या द्विगुणित हो गई हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि अपनी तरह की कुछ संस्थाए अब भी उपाधियां और भारतीय चिकित्सा में चिकित्साभ्यास करने के लिए पंजीयन का प्रमाण-पत्र प्रदान कर रही हैं।

केन्द्रीय परिषद् ने हिन्दी, अंग्रेजी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन के माध्यम से जन-सामान्य को ऐसे अयोग्य एवं अपंजीकृत चिकित्साभ्यासियों से सावधान रहने के लिए बार-बार चेतावनी दी हैं।

राज्य सरकारों/राज्य मंडलों/ परिषदों को जन-हित में इस मामले में सक्रिय भूमिका अदा करना चाहिए। अयोग्य/अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा चिकित्साभ्यास करना निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। यह योग्य चिकित्साभ्यासियों के चिकित्साभ्यास को भी प्रभावित करता हैं केन्द्रीय परिषद् इस मामले की गहराई तक गई थी और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 17 में निम्न आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया :-

''कोई व्यक्ति जो उपधारा (2) के विरुद्ध कार्य करता है को एक वर्ष का कठोर कारावास और 10,000/-रू० के जुर्माना से दण्डित किया जायगा। यदि वही व्यक्ति दुबारा पकड़ा जाता है तो उसे दो वर्ष का कठोर कारावास और 50,000/-रू० का जुर्माना किया जायगा। और यदि तीसरी बार पकड़ा जाता है तो वह मूल अधिकारों को भी खो देगा।

केन्द्रीय परिषद् को ऐसे व्यक्ति को स्वयं अथवा राज्य सरकार के माध्यम से न्यायालय में अपराधी बनाने का अधिकार होगा।''

इस विषय पर दीर्घ विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि अपंजीकृत चिकित्साभ्यासियों द्वारा भारतीय चिकित्सा के अनाधिकृत चिकित्साभ्यास को रोकने के क्रम में यह संयुक्त बैठक उपर्युक्त कठोर दण्ड के प्रावधान से सहमति व्यक्त करती है और अनुमोदन करती है।

यह केन्द्र और राज्य सरकारों पर दण्डनीय अपराध घोषित करने जैसे प्रावधान के साथ जालसाज़ी विरोधी बिल प्रस्तुत करने के लिए भी ज़ोर देती हैं संयुक्त बैठक यह भी सुझाव देती है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को समस्त उपलब्ध प्रचार साधनों के माध्यम से शिक्षित करने, जागृत करने और जनमत बनाने के लिए अपने प्रयत्न तीव्र करने चाहिये।

3. भारतीय चिकित्सा के महाविद्यालयों/संस्थाओं की कुकुरमुत्ता वृद्धि पर रोक

यह अंकित किया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में सम्मिलित कुछ संस्थाओं की अर्हताएं एक सीमित अवधि के लिए ही मान्य हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं उस अवधि के पश्चात् आज भी उन अर्हताओं को प्रदान कर रही हैं। ऐसी अमान्य संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अर्हताओं के प्रमाण-पत्रों का कोई उपयोग नहीं है। वास्तव में ऐसी संस्थाएं अपने विज्ञापनों के माध्यम से अज्ञानी जनता को धोखा देती हैं। वस्तुतः कुछ राज्य मंडलों ने ऐसी अमान्य चिकित्सा अर्हता के धारकों का पंजीयन करके उन्हें उत्साहित किया है।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में असंख्य कुकुरमुत्ता संस्थाएं शुल्क के रूप में बहुत बड़ी राशि लेकर उनके द्वारा प्रदत्त उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए समाचार-पत्रों में अपने विज्ञापनों के माध्यम से अज्ञानी जनता को आकृष्ट करती है।

केन्द्रीय परिषद् ने हिन्दी, अंग्रेजी और समस्त क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से बार-बार जन-साधारण को ऐसी संस्थाओं से सावधान किया है। जन साधारण को यह भी सूचित किया गया कि भारतीय चिकित्सा के केवल वही महाविद्यालय प्रामाणिक हैं, जो उस क्षेत्र के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं।

संयुक्त बैठक के ध्यान में लाए गए उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति से संकल्प किया गया कि केवल विश्वविद्यालय/राज्य सरकार और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्य महाविद्यालयों को ही चलने की अनुमति दी जानी चाहिए। अन्य कुकुरमुत्ता संस्थाओं को बन्द कर दिया जाना चाहिए।

संयुक्त बैठक समुचित उपाय अपनाते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रभावी उपाय करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् पर जोर डालती है।

4. भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों द्वारा व्यवसायिक आचार संहिता का अनुपालन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 26 की उपधारा (1) एवं (2) के साथ पढ़ते हुए धारा 36 के अनुबन्ध (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के अनुपालनार्थ व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं आचार संहिता के लिए "भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासी (व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं आचार संहिता के स्तर) विनियम 1982 बनाए और भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए। इन्हें लागू करने के लिए राज्य सरकारों, भारतीय चिकित्सा पद्धति के समस्त राज्य मंडलों/परिषदों में परिचालित किया गया।

संयुक्त बैठक ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन प्रतिपादित व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं आचार संहिता के अनुपालन की भावना को दोहराया और सर्वसम्मति से संकल्प किया कि राज्य मंडलों/परिषदों को पंजीकृत चिकित्साभ्यासी को पंजीयन का प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व इन विनियमों में संलग्न प्रपत्र "क" में हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्राप्त करना चाहिए और पूर्व में पंजीकृत चिकित्साभ्यासियों से ऐसा ही घोषणा पत्र प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

आगे यह सुझाव दिया जाता है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा (क) चिकित्सीय नैतिक शिक्षण पर पर्याप्त महत्व देने हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति की समस्त मान्य संस्थाओं (ख) महत्त्वपूर्ण स्थानों पर घोषणा-पत्र देने के लिए समस्त जन-संस्थाओं और भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों (ग) समस्त स्तरों पर चिकित्सीय नैतिक आचरण के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन आयोजित करने हेतु राज्य मंडल/परिषद् (घ) सम्भव प्रचार माध्यमों से प्रचार करने हेतु (ङ) पंजीयन के प्रमाण-पत्र के साथ व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं आचार संहिता की प्रति देने के लिए (च) चिकित्साभ्यासियों द्वारा निम्न स्तरीय समाचार-पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन प्रतिबन्धित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश जारी किए जावें।

5. भारतीय चिकित्सा पद्धति के शैक्षिक स्तर और उसमें एकरूपता का अनुरक्षण

परिषद् के मुख्य प्रयोजनों में से एक भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के लिए न्यूनतम स्तर विहित करना है।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए पाठ्यविधि एवं पाठ्य विवरण सहित शिक्षा के न्यूनतम मानकों के लिए विनियम विहित किए हैं। इन विनियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया और इनके क्रियान्वयन के लिए इन्हें आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध की संकाय वाले समस्त विश्वविद्यालयों और भारतीय चिकित्सा पद्धति की शिक्षा देने वाली संस्थाओं को परिचालित किया गया। शनैः शनैः विश्वविद्यालयों और भारतीय चिकित्सा पद्धति के संकायों ने इन्हें अपनाया और शिक्षा के इन न्यूनत्तम मानकों को लागू किया। वर्तमान में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा पद्धति का कोई अन्य स्नातकीय पाठ्यक्रम नहीं है।

सम्पूर्ण देश में शिक्षा की एक ही पद्धति को लागू करने के उद्देश्य से केन्द्रीय परिषद् ने स्नातकोत्तर शिक्षा के न्यूनतम मानक भी विहित किए हैं। तद्नुसार कुछ संस्थाओं ने अपने विभागों को विकसित किया है और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है। वर्तमान में आयुर्वेद के 24, यूनानी के 2, और सिद्ध की 1 संस्थाओं ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के ढांचे को अपनाया है।

संयुक्त बैठक ने शिक्षा के न्यूनतम मानकों के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम लागू करने की भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की नीति का समर्थन किया और सर्वसम्मति से संकल्प किया कि विहित मानदण्डों का अनुसरण नहीं करने वाली संस्थाओं को स्वास्थ्य सचिव, निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति और सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को सूचना देते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 21 के अधीन नोटिस दिया जाय और आगे जोर दिया

कि किसी भी स्थिति में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाये जब तक संस्था भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम के लिए विहित मानदण्डों एवं मानकों को पूरा नहीं करती है।

6. भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अनुसार केन्द्रीय परिषद् निर्धारित ढंग से भारतीय चिकित्सा का रजिस्टर जो भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर के नाम से जाना जायेगा रखेगी जिसमें उन समस्त व्यक्तियों के नाम होंगे जो फिलहाल भारतीय चिकित्सा के किसी राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और कोई मान्य चिकित्सीय अर्हता के धारक हैं।

इस सम्बन्ध में यह सूचित किया गया कि वर्ष 1986 तक भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। आसाम, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा उड़ीसा का केन्द्रीय रजिस्टर जुलाई और दिसम्बर, 1990 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। आन्ध्र-प्रदेश, तमिलनाडु,पंजाब, हिमाचल-प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के केन्द्रीय रजिस्टर राजपत्र में अधिसूचना के लिए भेजे जा चुके हैं। दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और बिहार राज्य के केन्द्रीय रजिस्टर का कार्य हाथ में है और फरवरी 1991 के दौरान राजपत्र में अधिसूचना के लिए भेजा जाना सम्भावित है। यह भी आशा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के केन्द्रीय रजिस्टर तैयार करने के बाद जून 1991 तक भेज दिया जायेगा।

केरल और उत्तर-प्रदेश राज्य के राज्य रजिस्टर पूर्ण सूचना के साथ बार-बार अनुस्मारक भेजने पर भी अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इन राज्यों के केन्द्रीय रजिस्टर तैयार करना सम्भव नहीं है। यहां तक कि बिहार से भी अभी तक पूर्ण प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

यह अंकित किया गया कि एक बार वर्ष 1986 तक का केन्द्रीय रजिस्टर भारत के राजपत्र में अधिसूचित हो जाता है तो आगे वर्ष 1990 तक का केन्द्रीय रजिस्टर तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए राज्य मंडलों/परिषदों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 24 के अनुसार भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर की तीन मुद्रित प्रतियां (द्विभाषी) समय पर भेजनी चाहिये।

संयुक्त बैठक ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों के लिए भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर को तैयार करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा किए गए प्रयत्नों की सराहना की और सर्वसम्मति से संकल्प किया कि सजीव (स्पष्ट) राज्य रजिस्टरों को बनाने के लिए राज्य मंडलों/परिषदों के स्तर पर मशीनरी और रीति तैयार की जानी चाहिये और आगे सुझाव दिया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसूची के अनुसार उसे पूर्ण प्राप्त करने के लिए समुचित उपाय करना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय परिषद् के परामर्श पर भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सीय

अर्हताओं को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया और उन्हें भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की द्वितीय एवं चतुर्थ अनुसूची में समाविष्ट किया। वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदत्त उनके सम्मुख उल्लिखित निम्न चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की द्वितीय एवं चतुर्थ अनुसूची में समाविष्ट किया गया :–

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्य	प्रदाय/निकाय का नाम	अर्हता	वर्ष	
1.	रविशंकर विश्वविद्यालय	डाक्टर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन,	डी. आयु. एम.	1977 से 1978 तक
		डाक्टर ऑफ मेडीसिन (आयुर्वेद)		1979 से 1981 तक
		आयुर्वेद वाचस्पति एम. डी. आयुर्वेद (काय चिकित्सा)		1982 से आगे
2.	पूना विश्वविद्यालय, पुणे	कामिले-तिब्बो-जराह (बैचलर आफ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी)	बी. यू. एम. एस.	1988 से आगे

चतुर्थ अनुसूची

1.	राजकीय देशी चिकित्सा महाविद्यालय कोलम्बो विश्वविद्यालय, श्री लंका	डिप्लोमा इन इन्डीजिनस मैडीसन एण्ड सर्जरी (आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी)	डी.आई.एम.एस	1960 तक
		डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मैडीसिन एण्ड सर्जरी (आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध)	डी. ए. एम. एस.	1961 से 1976 तक
2.	देशी चिकित्सा संस्था, कोलम्बो विश्वविद्यालय, श्री लंका	डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मैडीसिन एण्ड सर्जरी (आयुर्वेदिक/यूनानी)	डी. ए. एम. एस.	1977 से 1987 तक

	डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मैडीसिन एण्ड सर्जरी (सिद्ध)	डी. ए. एम. ए.	1977 से 1984 तक
3. जाफना विश्वविद्यालय, श्री लंका	डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मैडीसिन एण्ड सर्जरी (सिद्ध)	डी. ए. एम. एस.	1984 से 1987 तक

केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित विभाग, शिक्षक वर्ग, छात्र-शय्या अनुपात, प्रयोगशाला सुविधाएं, पुस्तकालय सुविधाएं, भवन, वनौषधि उद्यान, भैषज शाला और आतुरालय सुविधाओं आदि से सम्बन्धित न्यूनतम स्तरों एवं आवश्यकताओं की उपलब्धता का निर्धारण करने के लिए परिषद् अपने परिदर्शकों के माध्यम से परिदर्शन द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों/संस्थाओं के न्यूनतम स्तरों को बनाए रखती है।

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाएं स्कीम लागू कर दी गई है। केन्द्रीय परिषद् ने सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष द्वारा किए गए प्रयत्नों को अभिलिखित किया।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि विभिन्न वर्गों के अधीन विभिन्न पदों पर विद्यमान पदस्थों की क्रमोन्नति के लिए प्रथमतः कार्यालय द्वारा एक विस्तृत योजना तैयार की जाये ताकि एक ही पद पर 18 वर्ष से अधिक समय से परिषद् में कार्यरत विद्यमान पदस्थों की पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें।

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि केन्द्रीय परिषद् के लेखाकार का वेतनमान कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक 1–10–84 को सम्पन्न बैठक में संशोधित किया गया था परन्तु संशोधित वेतनमान 1–4–86 से लागू किया गया। केन्द्रीय परिषद् ने कार्यकारिणी समिति की बैठक की तिथि अर्थात् 1–10–84 से लेखाकार को संशोधित वेतनमान देने का संकल्प लिया।

केन्द्रीय परिषद् ने सहायक निबन्धक (आयुर्वेद एवं यूनानी) को 2000–3500 से 2200–4000 का संशोधित वेतनमान दिया।

केन्द्रीय परिषद् ने सहायक निबन्धक (प्रशासन) और (पंजीयन) को क्रमशः 2–1–86 और 1–1–87 से रु. 2000–3500 से रु. 2200–4000 का संशोधित वेतनमान दिया क्योंकि इन दोनों सहायक निबन्धकों द्वारा किया जा रहा कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण और उत्तरदायित्व का है। इसके अतिरिक्त उनका उत्तरदायित्व उनके पद के वेतनमान से अधिक महत्त्वपूर्ण प्रकृति का है।

केन्द्रीय परिषद् ने उचित प्रक्रिया द्वारा एच. सी. एल. लिमिटेड से रु. 1.47 लाख के कम्प्यूटर की खरीद को अंकित किया और उसे अनुमोदित किया।

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि सामान्य भविष्य निधि के लिए कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज सहायता अनुदान (योजना एवं गैर-योजना) से लिया गया है। लेखा परीक्षा 1989–90 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किया गया कि आय-व्यय लेखा के व्यय की ओर 40,657/-रु. की राशि सामान्य भविष्य निधि के शीर्ष के अधीन दर्शाई गई थी। यह व्यय ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है जो अशंदाता के लेखा में जमा की गई और 1989–90 के सरकार के योजना अनुदान से परिवर्तित की गई। इस व्यय को योजना और गैर-योजना से अनुपातिक रूप से लिया जाना था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 13–3–90 को गैर-योजना के अधीन अतिरिक्त अनुदान के लिए अनुरोध किया गया था परन्तु सरकार ने योजना के अधीन राशि दी। अतः योजना और गैर-योजना के लिए सामान्य भविष्य निधि का कुल ब्याज योजना में से लिया गया। केन्द्रीय परिषद् ने इसे अनुमोदित किया।

केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष 1987–88 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षित लेखा की 300 प्रतियों के मुद्रण पर हुए व्यय रु० 16906/- को अनुमोदित किया जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के आन्तरिक लेखा परीक्षा पार्टी ने सितम्बर 199० में लेखा परीक्षा के दौरान इच्छा व्यक्त की थी।

बजट के स्रोत	गैर-योजना	योजना
1990–91 का संशोधित प्राक्कलन (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	15,56,785.76	8,43,154.79
1990–91 का संशोधित प्राक्कलन (मंत्रालय द्वारा जारी किया गया)	14,50,000.00	7,50,000.00
1990–91 का बजट प्राक्कलन (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	19,79,200.00	39,00,000.00
1990–91 का बजट प्राक्कलन (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	15,00,000.00	6,00,000.00

केन्द्रीय परिषद् ने रु० 162.73 लाख राशि की आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990–95 को और 1991–92 की रु० 10.30 लाख की राशि की वार्षिक योजना, जिसे पहले ही भारत सरकार को भेजा जा चुका है, को अनुमोदित किया।

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी रखी जाती है कि विभिन्न संवर्गों के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया आरक्षण बनाए रखा जाये। केन्द्रीय परिषद् ने 35 कर्मचारियों में से विभिन्न संवर्गों के लिए किया गया आरक्षण निम्नवत् है :–

अनुसूचित जाति	4
अनुसूचित जन जाति	1
विकलांग	2
भूतपूर्व सैनिक	1

गोपनीय

कार्यालयः प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा,
केन्द्रीय राजस्व-I
नई दिल्ली-110002

संoओ ए डी/IV/एस ए आर/सीoसीoआईoएमo/91-92 दिनांक

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः- वर्ष 1990-91 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्दीय परिषद् नई दिल्ली पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूं।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियां, उस तिथि को दर्शाते हुए जब ये संसद को प्रस्तुत किए गए थे इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भी भेजी जाये।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,
ह०/-
उप निदेशक लेखापरीक्षा
निरीक्षण (II)

संoओ ए IV/एस ए आर/सीoसी० आईoएमo/91-92/460 दिनांक 19-2-92

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र सहित सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली-110055 को उनके पत्र सं० 10-10/91-लेखा दिनांक 21-1-92 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वह तिथि जिसको शासी निकाय द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे पर विचार किया गया है, समर्थित दस्तावेजों सहित इस कार्यालय को सूचित किया जाए प्रमाणित वार्षिक लेखे के हिन्दी रूपान्तर की पांच प्रतियाँ भी शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाये।

ह०/-
उपनिदेशक लेखापरीक्षा (निरीक्षण-II)

संoओoएoIV/एस ए आर/सीoसीoआईoएमo/91-92

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र सहित श्री सरोपसिंह, प्रशासन अधिकारी रिपो-ए बी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को मुख्यालय कार्यालय के पत्र सं० 27 रिपोर्ट (स्वाoनि०)/10-92 दिनांक 28-1-92 के संदर्भ में अग्रेषित की जाती हैं।

मुख्यालय की टिप्पणियों/अभ्युक्तियों के उत्तरों से समाविष्ट विवरण भी संलग्न है।

यह नि०ले०प०के०रा०-1 के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नकः यथोपरि

ह०/-

उपनिदेशक लेखापरीक्षा(निरीक्षण-II)

वर्ष 1990-91 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

परिचय	परिषद् के अभिमत
1. भारतीय चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करने, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण आदि और उससे सम्बन्धित अन्य विषयों के प्रयोजन से 1971 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (परिषद्) की स्थापना की गई थी। परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन की जाती है। परिषद् को वित्त की पूर्ति मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से होती है। परिषद् को वर्ष 1990-91 के दौरान राशि रु० 22.00 लाख (गैर-योजना के अधीन 14.50 लाख रु० और योजना के अधीन 7.50 लाख रु०) की अनुदान राशि प्राप्त हुई।	कोई अभिमत नहीं
2. **वार्षिक लेखा** **तुलन-पत्र में नहीं दर्शाई गई परिसम्पत्ति** परिषद् के पास जनवरी 1973 से अगस्त 1988 तक के दौरान लगवाए गए सात दूरभाष हैं तथापि दूरभाष विभाग में जमा की गई जमानत राशि रु० 0.27 लाख को वर्ष 1990-91 के परिषद् के तुलन-पत्र तथा इससे पूर्व के वर्षों के लेखाओं में परिषद् की परिसम्पत्ति के रूप में नहीं दर्शाया गया। आगे इन वर्षों	आवश्यक गणना कर ली जायगी और दूरभाष की जमानत की वास्तविक राशि को वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं में दर्शाया जायगा।
में परिषद् द्वारा जमा की गई जमानत राशि को उन वर्षों के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में जमानत राशि की बजाय परिषद् के व्यय के रूप में अन्तिम शीर्ष के अधीन बतलाया गया। परिषद् ने जनवरी, 1992 में बतलाया था कि आवश्यक शुद्धि कर ली जायेगी और दूरभाष की जमानत की वास्तविक राशि को वर्ष 1991-92 के तुलन-पत्र में परिसम्पत्ति की ओर दर्शाया जायेगा।	
3. **पैंशन एवं उपदान योजना** परिवार पैंशन योजना युक्त पैंशन एवं निवृत्ति उपदान योजना परिषद् में अप्रैल 1983 से प्रारम्भ की गई थी। योजना की शर्तों के अनुसार पैंशन निधि परिषद् के पास पहले ही उपलब्ध अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और एतद्विध निधियों में निवेश पर उपार्जित ब्याज सहित निधियों द्वारा निर्मित किया जाना था और केन्द्र सरकार द्वारा पैंशन निधि संवर्धन के लिए कोई अतिरिक्त अनुदान निर्गमित नहीं किया जाना था। केन्द्रीय परिषद् ने तथापि वर्ष 1990-91 के दौरान 0.57 लाख रुपये सहित वर्ष 1983-84 से 1990-91 तक के दौरान नियोक्ता के अंशदान के रूप में 2.62 लाख रुपए स्थानान्तरित किए। निधि के स्थानान्तरण को नियमित करने के लिए मंत्रालय के द्वारा कोई विशेष स्वीकृति जारी नहीं की गई। वर्ष 1987-88 से 1988-89 के दौरान निधि के अनियमित स्थानान्तरण पर वर्ष 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई थी। परिषद् ने जनवरी 1992 में बतलाया था कि परिषद् की कार्यकारिणी समिति द्वारा	परिषद् की कार्यकारिणी समिति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्रांक जैड 28015/52/88-आई.एस.एम. दिनांक 27-1-89 के द्वारा अनुमोदित रूप रेखा और नियमों के अनुसार ही परिषद् निधि का स्थानान्तरण कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से निधि के स्थानान्तरण को नियमित करने हेतु अलग से अनुमोदन देने का अनुरोध किया गया था।

समिति द्वारा यथा अनुमोदित रूपरेखाओं और नियमों के अनुसार ही परिषद् निधि का स्थानान्तरण कर रही है। अतः मंत्रालय का पृथक से अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

भारतीय चिकित्सा की केन्दीय पंजिका का रख रखाव नहीं करना

परिषद् को भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय पंजिका को रखना आवश्यक था जिसमें उन समस्त व्यक्तियों के नाम होने चाहिए जो भारतीय चिकित्सा की किसी भी राज्य पंजिका में अस्थायी रूप से नामांकित थे और जो कोई मान्य चिकित्सीय अर्हता धारण करते थे। ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अर्थ में लोक दस्तावेज समझा जाना था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक प्रति के द्वारा प्रमाणित किया जाना था। अधिनियम के प्रावधानुसार प्रत्येक राज्य मंडल को भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर की तीन मुद्रित प्रतियां इस अधिनियम के 1970 में लागू होने के पश्चात् से यथाशीघ्र तथा उसके पश्चात् प्रतिवर्ष प्रथम अप्रैल के पश्चात् भेजनी थी। राज्य परिषदों को समय-समय पर भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में होने वाले परिवर्द्धन और अन्य संशोधनों की सूचना अविलम्ब केन्द्रीय परिषद् को भेजनी थी।

यह देखा गया कि परिषद् द्वारा 1971 में उसके गठन से भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर नहीं रखा गया, जबकि यह परिषद् के मुख्य प्रयोजनों मे से एक था। इस प्रकार परिषद् दो दशाब्दियों के बाद भी अपने विधिक उत्तरदायित्व को निभाने में असफल रही। परिषद् ने

कोई अभिमत नहीं।

जुलाई 1991 में बतलाया था कि मंत्रालय ने केन्द्रीय रजिस्टर तैयार करने के लिए आवश्यक कर्मचारीवृन्द 1986 में स्वीकृत किए थे। परिषद् ने यह भी बतलाया था कि देश के 18 राज्यों में स्थित 21 राज्य मंडलों में से केरल और उत्तर प्रदेश को छोड़कर 16 राज्यों से सूचना प्राप्त हुई है। उसने आगे बतलाया कि 12 राज्यों (आसाम, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) से सम्बन्धित भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका राजपत्र अधिसूचना के लिए भेजी जा चुकी है और शेष चार राज्यों (बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान) की अधिसूचना हेतु अतिशीघ्र मुद्रणालय में भेजी जानी थी। तथापि यह देखा गया कि 12 राज्यों में से 7 राज्यों से प्राप्त राज्य रजिस्टर राजपत्र अधिसूचना के लिए भेजने में 22 से 36 माह की देरी हुई है। जनवरी, 1992 में परिषद् ने बतलाया कि 9 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल) से सम्बन्धित भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका भारत के राजपत्र में अधिसूचित हो चुकी है। सात राज्यों (दिल्ली, कर्नाटक, मध्य-प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार) से सम्बन्धित भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका तैयार हो चुकी है और उसे राजपत्र अधिसूचना के लिए भेजा जा चुका है। इस तरह परिषद् ने केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण करने में अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है।

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 1990-91 के लेखा परीक्षा की समाप्ति पर पांच पैराओं के साथ तीन निरीक्षण प्रतिवेदन निम्न रूप में बकाया हैं:--

अगले लेखा परीक्षा के समय अनुपालन दर्शाया जायेगा।

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	बकाया पैरों की संख्या
1.	1987-88	1
2.	1988-89	1
3.	1989-90	3
		5

हस्ता०/-

महानिदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

स्थान- नई दिल्ली

तिथि-

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली के 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के अदायगी एवं भुगतान का लेखा/आय एवं व्यय लेखा और 31 मार्च, 1991 को यथा तुलन-पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा परिषद् की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखा और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और परिषद् के कार्यकलापों का सही उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

स्थान- नई दिल्ली

ह०/-

तिथि

मुख्य निदेशक लेखा परीक्षा-I

केन्द्रीय
राजस्व

भारतीय चिकित्सा
31 मार्च 1991 को समाप्त हुए वर्ष

प्राप्तियां	गैर-योजना राशि	गैर-योजना राशि	योजना राशि	योजना राशि
1-4-90 को आद्य शेष				
हस्तगत रोकड़	77.00			
बैंक में नकद	95,021.70		25,195.07	
हस्तगत डाक टिकटें	78.10		—	
फ्रैंकिंग मशीन में डाक टिकट	1,274.42	96,451.31	—	25,195.07
वर्ष 1990-91 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त सहायक अनुदान।		14,50,000,00		7,50,000.00
सहायक अनुदान के अतिरिक्त आय				
बेकार वस्तुओं की बिक्री	3,000.00			
रद्दी बेचने पर प्राप्त राशि	189.00			
कर्मचारियों से विभिन्न वसूली	2,970.00			
प्रार्थना पत्र शुल्क	339.00			
सामान्य भविष्य निधि का ब्याज़	35,474.77			
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा	95.00	42,067.77		—
अग्रिमों की वसूली				
पर्व अग्रिम	8,440.00		1,520.00	
स्कूटर अग्रिम	12,260.00		4,800,00	
कार अग्रिम	—		15,000,00	
गृह निर्माण अग्रिम	—		15,600.00	
		20,700.00		36,920.00
विविध प्रेषण				
सामान्य भविष्य निधि	2,29,100.00			
आयकर	8,876.00			
सामूहिक बीमा योजना	11,715.00	2,49,691.00		—
अग्रेषित शेष		18,58,910.08		8,12,115.07

केन्द्रीय परिषद्
के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

अदायगी	गैर-योजना राशि	गैर-योजना राशि	योजना राशि	योजना राशि
1. वेतन एवं भत्ते				
अधिकारियों का वेतन	48,625.00			
कर्मचारियों का वेतन	5,26,899.00			
चिकित्साभ्यास बन्दी भत्ता	31,755.00			
महंगाई भत्ता	2,43,828.00			
गृहभाटक भत्ता	1,38,409.20			
नगर प्रतिकर भत्ता	22,683.60			
धुलाई भत्ता	1,328.00			
वाहन प्रभार भत्ता	1,382.00			
अतिकालिक भत्ता	890.80			
अध्ययन शुल्क प्रतिपूर्ति	720.00			
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	13,115.50			
केन्द्रीय सरकार स्वा॰ सेवा सुविधा	6,606.00			
अवकाश यात्रा व्यय	15,243.25			
बोनस	32,508.90			
अध्यक्ष के निजी सचिव का वेतन	6,250.00	10,90,244.25	—	
2. आकस्मिक व्यय				
(क) आवर्ती व्यय				
लेखन सामग्री	14,829.24		17,817.43	
डाक एवं तार	11,739.61		—	
विद्युत प्रभार	4,760.50		—	
जल प्रभार	413.95		—	
भवन का किराया	56,400.00		—	
दूरभाष	40,258.00		11,873,00	
विधि सम्बन्धी व्यय	—		3,575.00	
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	2,192,40		—	
लेखा परीक्षा शुल्क	13,300,00		—	
कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण	11,254.30		—	
वाहन व्यय	4,764.50		—	
विविध प्रभार	29,822.60		53,374.55	
यूनीफार्म प्रभार	1,416.60		—	
मुद्रण व्यय	—		10,120.00	
विज्ञापन	—		6,790.00	
प्रकाशन	—	1,91,151.70	1,74,125.00	2,77,674.98
		12,81,395.95		2,77,674.98

पीछे से लाया गया शेष		12,81,395.95		2,77,674.98
(ख) अनावर्ती व्यय				
3. पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	2,756.00		—	
फर्नीचर एवं उपस्कर	—		10,376.30	
कार्यालय उपकरण	—	2,756.00	27,740.60	38,116.90
4. यात्रा सम्बन्धी व्यय				
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	—		29,960.00	
सचिव/कर्मचारी	—		24,114.30	
परिषद् के सदस्य	—		1,58,066.00	
कार्यकारिणी समिति के सदस्य	—		46,958.50	
शिक्षा समिति (आयुर्वेद) के सदस्य	—		10,242.00	
शिक्षा समिति (यूनानी) के सदस्य	—		37,493.00	
शिक्षा समिति (सिद्ध) के सदस्य	—		727.00	
विनियम समिति के सदस्य	—		21,739.50	
पंजीयन समिति के सदस्य	—		48,937.00	
उपसमिति के सदस्य	—		3,538.00	
परिदर्शन समिति के सदस्य	—		33,126.50	4,14,901.80
5. अग्रिम की अदायगी				
के॰ सरकार स्वा॰ योजना सुविधा	367.00			
पर्व अग्रिम	9,640.00			
अवकाश यात्रा रियायत	2,430.00			
स्कूटर अग्रिम	23,000.00	35,437.00		
6. विविध प्रेषण				
सामान्य भविष्य निधि	2,29,100.00			
आयकर	8,876.00			
सामूहिक बीमा योजना	11,715.00	2,49,691.00		
7. पेंशन निधि में अंशदान		56,622.00		
8. सामान्य भविष्य निधि में ब्याज		53,013.00		
9. सेमिनार में व्यय		45,119.00		
10. 31-3-91 को अन्तिम शेष				
हस्तगत रोकड़	10,564.85		—	
बैंक में नकद	1,23,237.67		81,421.39	
हस्तगत डाक टिकटें	17.10		—	
फ्रैंकिंग मशीन में डाक टिकटें	1,056.51	1,34,876.13	—	81,421.39
कुल		**18,58,910.08**		**8,12,115.07**

पीछे से लाया गया शेष		18,58,910.08	8,12,115.07
		18,58,910.08	8,12,115.07

भारतीय चिकित्सा
31 मार्च 1991 को समाप्त हुए वर्ष

व्यय	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
वेतन एवं भत्ते				
अधिकारियों का वेतन	48,625.00		—	
कर्मचारियों का वेतन	5,26,899.00		—	
चिकित्साभ्यास बन्दी भत्ता	31,755.00		—	
मंहगाई भत्ता	2,43,828.00		—	
गृहभाटक भत्ता	1,38,409.20		—	
नगर प्रतिकर भत्ता	22,683.60		—	
धुलाई भत्ता	1,328.00		—	
वाहन भत्ता	1,382.00		—	
अतिकालिक भत्ता	890.80		—	
अध्ययन शुल्क प्रतिपूर्ति	720.00		—	
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	13,115.50		—	
के० सरकार स्वा० योजना सुविधा	6,606.00		—	
अवकाश यात्रा रियायत	15,243.25		—	
बोनस	32,508.90		—	
अध्यक्ष के निजी सचिव का पारिश्रमिक	6,250.00	10,90,244.25		—
आकस्मिक व्यय				
लेखन सामग्री	14,829.24		17,817.43	
डाक एवं तार	11,739.61		—	
विद्युत प्रभार	4,760.50		—	
जल प्रभार	413.95		—	
भवन का किराया	56,400.00		—	
दूरभाष	40,258.00		11,873.00	
विधि सम्बन्धी व्यय	—		3,575.00	
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	2,192.40		—	
लेखा परीक्षा शुल्क	13,300.00		—	
कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण	11,254.30		—	
वाहन व्यय	4,764.50		—	
विविध व्यय	29,822.60		53,374.55	
यूनीफार्म व्यय	1,416.60		—	
मुद्रण व्यय	—		10,120.00	
विज्ञापन	—		6,790.00	
प्रकाशन	—	1,91,151.70	1,74,125.00	2,77,674.98
अग्रेणीत शेष		12,81,395.95		2,77,674.98

केन्द्रीय परिषद्
के लिए आय और व्यय का लेखा

आय	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
वर्ष 1990-91 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त सहायक अनुदान	14,50,000.00		7,50,000.00	
घटाएं-पूंजीगत अनुदान	2,756.00	14,47,244.00	38,116.90	7,11,883.10
विविध प्राप्तियां				
बेकार वस्तुओं की बिक्री	3,000.00			
रद्दी की बिक्री	189.00			
कर्मचारियों से	2,970.00			
आवेदन शुल्क	339.00			
के० सरकार स्वा० योजना सुविधा	95.00			
सामान्य भविष्य निधि का ब्याज	35,474.77	42,067.77		—
अग्रेणीत शेष		14,89,311.77		7,11,883.10

पीछे से लाया गया शेष	12,81,395.95		2,77,674.98
यात्रा सम्बन्धी व्यय			
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष		29,960.00	
सचिव/कर्मचारी		24,114.30	
परिषद् के सदस्य		1,58,066.00	
कार्यकारिणी समिति के सदस्य		46,958.50	
शिक्षा समिति (आयु०) के सदस्य		10,242.00	
शिक्षा समिति (यूनानी) के सदस्य		37,493.00	
शिक्षा समिति (सिद्ध) के सदस्य		727.00	
विनियम समिति के सदस्य		21,739.50	
पंजीयन समिति के सदस्य		48,937.00	
उपसमिति के सदस्य		3,538.00	
परिदर्शन समिति के सदस्य		33,126.50	4,14,901.80
पेंशन निधि में अंशदान	56,622.00		
सामान्य भविष्य निधि का ब्याज	53,013.00		
व्यय से आय की अधिकता	98,280.82		19,306.32
कुल	14,89,311.77		7,11,883.10

पीछे से लाया गया शेष	14,89,311.77	7,11,883.10
कुल	14,89,311.77	7,11,883.10

हस्ता०
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
नई दिल्ली

भारतीय चिकित्सा
31 मार्च, 1991 को

दायित्व	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
सामान्य आरक्षित				
स्थापना के दिन प्राप्त परिसम्पत्तियाँ		20,080.15		—
शासकीय अनुदान से प्राप्त परिसम्पत्तियां				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	2,43,182.31		5,15,683.14	
जोड़े-पूंजीगत अनुदान	2,756.00		38,116.90	5,53,800.04
	2,45,938.31			
घटाएं-वर्ष के दौरान विमोचन	6,860.28	2,39,078.03		
उपकुल		2,59,158.18		5,53,800.04
व्यय से आय की अधिकता				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	68,392.31		1,64,015.07	
जोड़े वर्ष के दौरान व्यय से आय की अधिकता	98,280.82	1,66,673.13	19,306.32	1,83,321.39
सेमिनार				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	45,119.00			
घटाएं-वर्ष के दौरान विमोचन	45,119.00	शून्य		—

केन्द्रीय परिषद्
यथा तुलन-पत्र

परिसम्पति	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
अनावर्तक प्रकृति				
1) **फर्नीचर एवं उपस्कर**				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	76,564.68		25,205.18	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—	76,564.68	10,376.30	35,581.48
2) **पुस्तकालय की पुस्तकें**				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	25,624,01		—	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	2,756.00	28,380.01	—	—
3) **वातानुकूलित उपकरण**				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	38,537.53		26,789.80	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—	38,537.53	—	26,789.80
4) **कार्यालय उपकरण**				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,22,536.24		4,63,688.16	
घटाएं वर्ष के दौरान विमोचन	6,860.28		—	
	1,15,675.96		4,63,688.16	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—	1,15,675.96	27,740.60	4,91,428.76
उपकुल		2,59,158.18		5,53,800.04
आवर्ती प्रकृति				
ऋण एवं अग्रिम				
1) **पर्व अग्रिम**				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	5,560.00		1,520.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	9,640.00		—	
	15,200.00		1,520.00	
घटाएं-वर्ष के दौरान की वसूली	8,440.00	6,760.00	1,520.00	शून्य
2) **स्कूटर अग्रिम**				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	11,500.00		14,800.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	23,000.00		—	
	34,500.00		14,800.00	

पीछे से लाया गया शेष	4,25,831.31	7,37,121.43
सामान्य भविष्य निधि	6,20,302.00	—
पेंशन निधि	4,31,404,87	—
कुल	**14,77,538.18**	**7,37,121.43**

पीछे से लाया गया शेष		2,88,158.18		5,63,800.04
3) कार अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	—		30,000.00	
घटाएं वर्ष के दौरान की गई वसूली	—	शून्य	15,000.00	15,000.00
4) गृह निर्माण अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	—		92,500.00	
घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसूली	—	शून्य	15,600,00	76,900.00
5) वर्ष के दौरान के॰ सरकार स्वास्थ्य सेवा का अग्रिम		367.00		
6) वर्ष के दौरान अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम		2,430.00		—
31-3-91 को अन्तिम शेष				
हस्तगत रोकड़	10,564,85			
बैंक में नकद	1,23,237.67		81,421.39	
हस्तगत डाक टिकटें	17.10		—	
फ्रैंकिंग मशीन में डाक टिकटें	1,056.51	1,34,876.13	—	81,421.39
सामान्य भविष्य निधि		6,20,302.00		
पेंशन निधि		4,31,404.87		—
कुल		**14,77,538.18**		**7,37,121.43**

भारतीय चिकित्सा
सामान्य
31 मार्च 1991 को समाप्त हुए वर्ष

प्राप्तियां

राशि	राशि	
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में		
1-4-90 को आद्य शेष		19,749.00
कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त अंशदान	89,544.00	
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	49,786.00	1,39,330.00
कर्मचारियों से ऋण की वसूली		89,770.00
बचत खाता, मासिक आय पत्र और विशिष्ट जमा योजना पर बैंक से अर्जित ब्याज़		35,474.77
90-91 में परिषद् से प्राप्त ब्याज़ की राशि		53,013.00
मासिक आय प्रमाण-पत्र की परिपक्वता पर		50,000.00
कुल		**3,87,336.77**

केन्द्रीय परिषद्
भविष्य निधी
के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

भुगतान	राशि	राशि
कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया ऋण		1,18,100.00
कर्मचारियों को अंतिम निकासी		55,000,00
मासिक आय प्रमाण-पत्र में विनियोजन		1,75,000.00
परिषद् को स्थानान्तरित ब्याज़		35,474.77
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 31-3-91 को अंतिम शेष		3,762.00
कुल		3,87,336.77

भारतीय चिकित्सा सामान्य भविष्य 31 मार्च 1991 को

1989-90	दायित्व	राशि	राशि
	कर्मचारियों का अंशदान		
3,65,130.87	गत तुलन-पत्र के अनुसार	4,82,959.00	
1,17,028.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,39,330.00	
4,82,158.87		6,22,289.00	
	घटाएं-वर्ष के दौरान की गई अन्तिम निकासी		
39,806.00		55,000.00	
4,42,352.87		5,67,289.00	
40,657.00	जोड़े-अर्जित ब्याज़	53,013.00	
4,83,009.87		6,20,302.00	
	घटाएं-पेंशन निधि में स्थानान्तरित राशि		
50.87		—	6,20,302.00
4,82,959.00			
4,82,959.00	कुल		6,20,302.00

केन्द्रीय परिषद् निधि यथा तुलन-पत्र

1989-90	परिसम्पत्ति	राशि	राशि
19,749.00	बैंक आफ इंडिया के बचत खाते में		3,762.00
19,749.00			
	विनियोजन		
	क) मासिक आय प्रमाण-पत्र		
50,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,50,000.00	
1,00,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,75,00.00	
1,50,000.00		3,25,000.00	
—	घटाएं-विमोचित	50,000.00	2,75,000.00
1,50,000.00			
	ख) विशिष्ट जमा योजना		
1,70,500.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार		1,70,500.00
1,70,500.00			
	ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र		
75,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार		75,000.00
75,000.00			
	घ) कर्मचारियों को ऋण		
50,465.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	67,710.00	
1,12,700.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,18 100.00	
1,63,165.00		1,85,810.00	
95,455.00	घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसूली	89,770.00	96,040.00
67,710.00			
4,82,959.00	कुल		6,20,302.00

—ह०/—
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली ।

भारतीय चिकित्सा पेंशन एवं 31 मार्च 1991 को समाप्त हुए वर्ष

प्राप्तियां	राशि
बैंक आफ, इण्डिया के बचत खाते में	
1-4-90 को आद्य शेष	14,145.78
नियोक्ता का अंशदान	56,622.00
बचत खाते में बैंक से और मासिक आय	
प्रमाण-पत्र से अर्जित ब्याज़	26,637.09
मासिक आय प्रमाण-पत्र की परिपक्वता से	35,000.00
कुल	1,32,404.87

केन्द्रीय परिषद् ग्रेच्युटी निधि के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

भुगतान	राशि	राशि
मासिक आय प्रमाण-पत्र में विनियोजन	1,27,000.00	
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में		
31-3-91 को अन्त शेष	5,404.87	
कुल		**1,32,404.87**

ह०/—
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली।

भारतीय चिकित्सा पैंशन एवं 31 मार्च, 1991 को

1989-90	दायित्व	राशि	राशि
2,80,307.51	गत तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया	3,48,145.78	
50,245.57	अंशदान	56,622.00	
17,592.70	ब्याज	26,637.09	4,31,404.87
3,48,145.78	कुल		4,31,404.87

केन्द्रीय परिषद् ग्रेच्युटी निधि यथा तुलन-पत्र

1989-90	परिसम्पत्ति	राशि	राशि
14,145.78	बैंक आफ इंडिया के बचत खाते में		5,404.87
	विनियोजन		
	क) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र		
1,20,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार		1,20,000.00
1,20,000.00			
	ब) मासिक आय प्रमाण-पत्र		
1,59,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	2,14,000.00	
35,000.00	घटाएं-विमोचित	35,000.00	
1,24,000.00		1,79,000.00	
90,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,27,000.00	3,06,000.00
2,14,000.00			
3,48,145.78	कुल		4,31,404.87

ह०/—
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली।

1

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

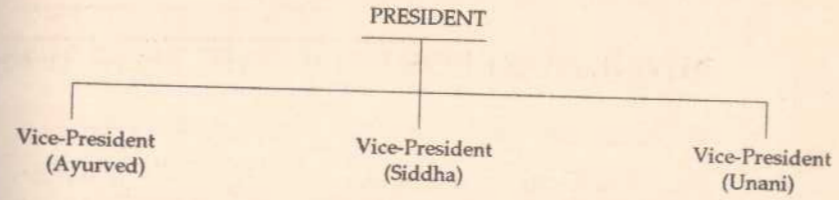

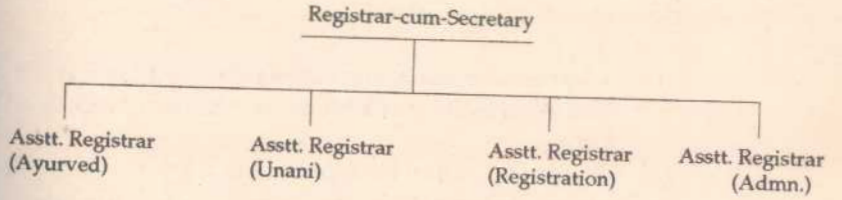

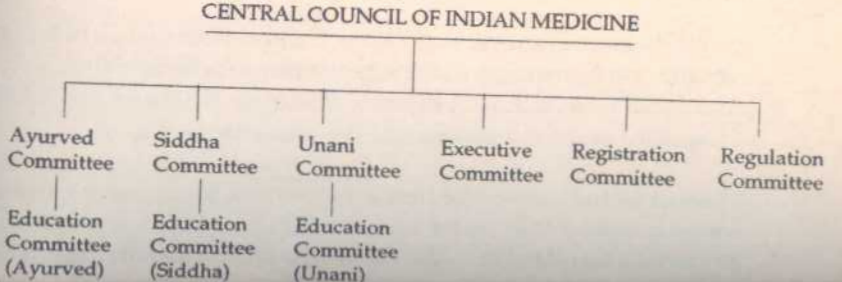

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NEW DELHI

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1990-91

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The first Council was constituted in 1971. The Council was reconstituted in 1984 vide Government of India Notification in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3, Sub-Section (ii) dated 7.5.1984.

The main objects of the Central Council are as follows:

(i) To prescribe minimum standards of education for courses in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani.
(ii) To advise Central Government in matters relating to recognition of medical qualifications of Indian Medicine.
(iii) To maintain the Central Register of Indian Medicine and prescribe standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by the practitioner.
(iv) To regulate practice in Indian Medicine and prescribe standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum and Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani at Under-graduate and Post-graduate levels.

Almost all the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various universities in the country. These colleges are following the minimum standards of education which include curriculum & syllabus prescribed by the Council.

COMPOSITION OF THE COUNCIL

The following are the members of the Central Council:

AYURVED

1. Dr. D. Radhakrishnamurthy
2. Dr. P.B. Satakopacharya
3. Dr Sukumar Bhattacharjee
4. Dr. Deovrat Narayan Singh
5. Dr. Maheshwar Pandey
6. Dr. Indra Mohan Jha
7. Dr. Alakh Narayan Singh
8. Dr. Janardan N. Dave
9. Dr. Dinesh R. Patel
10. Dr. Krishna Chandra Sharma
11. Dr. Gulshan Rai Sharma
12. Kvj. Bhupendra Nath Gupt
13. Vaidya Gauri Shankar Dwivedi
14. Vaidya Panchayya Hosmath
15. Dr. A.C. Rahula Kumar
16. Dr. K. Madhavan Nair
17. Vaidya Pt. Mahesh Dutt Sharma Shastri
18. Dr. Prasanna Kumar Jain
19. Vaidya Harikrishna S. Joshi
20. Dr. S.I. Nagral
21. Dr. Swapneshwar Panda
22. Vaidya Parmod Kumar Tewari
23. Vaidya Madan Mohan Pushkarna
24. Vaidya Udai Shankar Sharma
25. Vaidya Gokulendra Sharma
26. Dr. V. Narayanaswami
27. Dr. Ram Prakash Gupta
28. Dr. Hukam Chand Sharma
29. Dr. Prem Dutt Sharma
30. Dr. Mahendra Dutt Sharma
31. Dr Ananda Roy
32. Dr. P. Seshi Reddy

33. Vaidya K.K. Pandey
34. Dr. K.K. Zala
35. Vaidya Shamlal Vashistha (Shastri)
36. Dr. L. Chikkarajanna
37. Dr. S.V. Savadi
38. Dr. K.P. Sreekumari Amma
39. Dr. Sachchidanand Upadhyay
40. Dr. A.K Dulani
41. Dr. G.L. Sharma
42. Vaidya Pt. Shivkaran Sharma Chhangani
43. Vaidya S.G. Phadke
44. Dr. Krishna Bhatt Kaintaja
45. Vaidya Radhakrishna Sridhar Waray
46. Prof. L.M. Singh
47. Vaidya S.K. Mishra
48. Vaidya Jagannath Mishra
49. Dr. P.K. Debnath
50. Prof. R.C. Chaturvedi
51. Vaidya Hari Narayan Swami
52. Prof. V.J. Thakar
53. Dr. Ramesh Mishra
54. Acharya P.V. Sharma
55. Dr. S.T. Gujar
56. Vaidya Devendra Kumar Triguna
57. Kaviraj Nanak Chand Sharma
58. Vaidya K.S. Varier
59. Dr. B.A. Hiremath
60. Dr. Satyapal Gupta
61. Dr. D.L. Narayana
62. Dr. K. Sadashiv Sharma
63. Vaidya Chandra Sekhar Gaur
64. Vaidya P.C. Bhattacharya

SIDDHA

65. Dr. G. Annaswamy
66. Dr. C.P. Ramanathan
67. Dr. K. Palanichamy

UNANI

68. Hakim Mohd. Ashraf Karim
69. Dr. Madan Sarup Gupta
70. Hakim Mohammed Umar
71. Shri Dharam Chand
72. Dr. Daulat Ram Bharaj
73. Dr. Bansi Lal Pandit
74. Dr. Abdur Rahman
75. Hakim Abdul Mobin Khan
76. Hakim Ved Prakash Sharma
77. Hakim Mohd. Iqbal Khan
78. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah
79. Dr. M.T. Khan
80. Hakim Mohd. Ahmad Lari
81. Dr. Syed Shaji Hyder
82. Dr. S.K. Khadri
83. Prof. Hakim Mohd. Taiyab
84. Hakim M.A. Razzack
85. Hakim Abdul Hameed
86. Hakim Faizan Ahmed
87. Hakim Faiyaz Alam
88. Dr. J.D. Sanderwale.

OFFICE BEARERS

The following are the office bearers of the Council:

1.	Prof. Hakim Syed Khaleefathullah	President
2.	Vaidya S.K. Chhangani	Vice-President (Ay.)
3.	Hakim M.A. Razzack	Vice-Preisent (Unani)
4.	Dr.S.I. Nagral	Chairman, Education Committee (Ayurved)
5.	Prof. Hakim Mohd. Taiyab	Chairman, Education Committee (Unani)
6.	Dr. Prasanna Kumar Jain	Chairman, Registration Committee
7.	Vaidya Pt. Mahesh Dutt Sharma Shastri	Chairman, Regulation Committee.

As per Section 9 (1) of the IMCC Act, 1970, the Central Council has the following main committees namely:

1. Ayurveda Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee.

The above committees consist of members elected under clauses (a), (b) and nominated under clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970 representing the Ayurved, Siddha and Unani Systems of Medicine.

The Vice-President for each of the Ayurveda, Siddha and Unani Systems of Medicine and elec ted under sub-section (3) of Section 3, are respectively the Chairman of the Committees referred to above.

Subject to such general or specific directions as the Central Council may from time to time give, each committee is competent to deal with any matter relating to Ayurved, Siddha and Unani Systems of medicine, as the case may be, within the competence of the Central Council.

The Central Council also constituted the following committees under Section 10 of the IMCC Act, 1970 to carry out various functions.

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee is constituted in accordance with regulation No. 5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Council within the framework of the Act and the rules and regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Committee is represented by all the three systems of Indian medicine i.e. Ayurveda, Siddha and Unani.

The following are the members of the Executive Committee:

Chairman	1.	Prof. Hakim Syed Khaleefathullah (President)
Members	2.	Vaidya Pt. S.K. Changani, Vice-President (Ayurved)
	3.	Hakim M.A. Razzack, Vice-President (Unani)
	4.	Dr. S.T. Gujar
	5.	Vaidya Parmod Kumar Tewari
	6.	Dr. Ram Prakash Gupta
	7.	Prof. K. Madhavan Nair
	8.	Prof Hakim M. Taiyab

	9.	Hakim Ved Prakash Sharma
	10.	Dr. K. Palanichamy

REGULATION COMMITTEE

The Regulation Committee is constituted by the Council to draw up the various regulations of the Central Council as required from time to time and to consider various matters relating thereto under the IMCC Act, 1970.

The following are the members of the Regulation Committee:

Chairman	1.	Vaidya Pt. Mahesh Dutt Shastri
Members	2.	Vaidya Madan Mohan Pushkarna
	3.	Vaidya Hari Narayan Swami
	4.	Dr Swapaneshwar Panda
	5.	Vaidya Panchayya Hosmath
	6.	Dr. Mahendra Dutt Sharma
	7.	Dr. Janardan N. Dave
	8.	Dr. P.B. Satakopacharya
	9.	Dr. Maheshwar Pande
	10.	Dr. Gulshan Rai Sharma
	11.	Dr. D. Radhakrishnamurthy
	12.	Dr. J.D. Sanderwale
	13.	Dr. Bansi Lal Pandit
	14.	Dr. Abdur Rahman
	15.	Hakim Dharam Chand

REGISTRATION COMMITTEE

The Council constituted a Registration Committee to look into the matters relating to recognition and inclusion of various medical qualifications in the Schedules to IMCC Act, 1970 and to make recommendations on the subject. The consideration of the matters relating to the registration is also under the purview of this Committee.

The following are the members of Registration Committee:

Chairman	1.	Dr. Prasanna Kuman Jain
Members	2.	Prof. R.C. Chaturvedi
	3.	Dr. Krishna Chandra Sharma
	4.	Vaidya Hari Krishna S. Joshi
	5.	Dr. P.K. Debnath
	6.	Dr. Prem Dutt Sharma

7. Dr. A.C. Rahula Kumar
8. Dr. D.R. Patel
9. Dr. B.A. Hiremath
10. Dr. Ram Prakash Gupta
11. Dr. Indra Mohan Jha
12. Dr. Madan Sarup Gupta
13. Dr. M.T. Khan
14. Hakim Mohammed Umar
15. Dr. Daulat Ram Bharaj
16. Hakim Faizan Ahmed

EDUCATION COMMITTEES (AYURVED, SIDDHA & UNANI)

The Education Committees are competent to deal with all the matters pertaining to Ayurved, Siddha and Unani education repsectively. The following are the members of the Education Committees of Ayurved, Siddha and Unani:

AYURVED

Chairman
1. Dr. S.I. Nagral

Members
2. Vaidya Pt. Shivkaran Chhangani (Vice-President, Ayurved)
3. Vaidya Devendra Kumar Triguna
4. Kvj. Nanak Chand Sharma
5. Dr. Ram Prakash Gupta
6. Dr. Ananda Roy
7. Dr. Satyapal Gupta
8. Vaidya S.G. Phadke
9. Dr. Hukam Chand Sharma
10. Vaidya S.K. Mishra
11. Dr. Jagannath Mishra
12. Prof. P.V. Sharma
13. Dr. Ramesh Mishra
14. Kaviraj B.N. Gupt
15. Dr. V. Narayanaswami

SIDDHA

1. Dr. K. Palanichamy
2. Dr. G. Annaswamy

UNANI

Chairman
1. Prof. Hakim Mohd. Taiyab

2. Hakim M.A. Razzack, (Vice-President, Unani)
3. Hakim Syed Shaji Hyder

4. Hakim Mohd. Ashraf Karim
5. Hakim Abdul Mobin Khan
6. Hakim Abdul Hameed
7. Hakim Faiyaz Alam
8. Hakim S.K. Khadri
9. Hakim Mohd. Iqbal Khan
10. Hakim Mohd. Ahmed Lari
11. Dr. Madan Sarup Gupta

During the year 1990-91 the following meetings were held:

1.	Central Council	One
2.	Ayurveda Committee	One
3.	Siddha Committee	Two
4.	Unani Committee	One
5.	Executive Committee	Three
6.	Education Committee (Ay.)	One
7.	Education Committee (Unani)	Two
8.	Regulation Committee	One
9.	Registration Committee	One
10.	Joint meeting of State Directors of ISM, Chairmen/Presidents and Registrars of State Boards	One

The annual meeting of the Central Council was held on 21 and 22nd February, 1991 at New Delhi. The Central Council ratified the minutes of the meetings of various committees held during the year. The Central Council made the following recommendations:

AYURVED

1. The Central Council decided that the promotions of teachers appointed in Ayurvedic colleges before 1.7.1989 will not be effected by the Regulations, 1989 and the Post-graduate qualification will not be essential for those teachers in case of promotions.

It was also decided that the above decision be circulated to all State Governments and necessary action be taken for inclusion of the above in the prescribed Regulations, 1989.

2. The Central Council approved the clarification that the topics/issues included in Syllabus of various subjects of Ayurvedacharya course prescribed by Central Council of Indian Medicine which appear to be allopathic are included with a view to provide more and useful knowledge of the subject as the knowledge of any

other branch of medical science cannot be restricted or limited.

3. The Central Council decided that the Govt. of Kerala be requested to implement the UGC pay scales for the staff of the Ayurvedic colleges.

4. The Central Council decided that the proposal to start a Post-graduate course in Prasootitantra in Government Ayurved College, Trivandrum be forwarded to the Council by the authorities of the institution after getting approval of the State Govt. and University concerned.

5. The Central Council decided to send again a strict letter to all State Govts. to take effective steps for stopping capitation fee at the time of admission in Ayurved colleges and admission be made strictly only on the basis of merit.

6. The Central Council decided that "since the Central Council had already prescribed Post-graduate course in Ayurved in 1979, the Ayurveda Parangat degree awarded by Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Pune cannot be recommended for its inclusion beyond 1980 in the IInd Schedule to the IMCC Act, 1970.

7. The Central Council decided to approve the batch admitted for session 1990-91 in ALN Rao Memorial Ayurvedic Medical College, Koppa. The shortcomings should be removed till March, 1991. The permission for admission for 1991-92 be granted after verifying facts by conducting visitation.

The Central Council did not agree to the proposal of Shivaji University, Kolhapur to introduce MD (Ay.) vocational courses only for in-service candidates as there is no provision to introduce Post-graduate Ayurved vocational course under the prescribed regulations pertaining to Post-graduate education in Ayurved. The Central Council noted the discussion held in the meeting convened by the Ministry of Health & Family Welfare on 31.7.90 regarding the necessity for imparting training in surgery to the student of Indian Systems of Medicine & Homoeopathy by allopathic doctors in Allopathic hospitals.

It was felt that it is totally a local problem which had arisen due to the arrangement made by State Govt. for imparting practical training in Surgery to the students of Government Ayurvedic College, Trivandrum, by allopathic doctors in Allopathic hospitals. It was earlier advised to the State government to make necessary arrangement for imparting practical training in Shalyatantra in their own hospital by competent Ayurvedic graduates only. The proper development of Shalya-Shalakya department was also suggested. But no due attention was paid on this suggestion.

In the syllabus of Ayurvedic course prescribed by Central Council of Indian Medicine there is already provision for teaching and practical training in Shalyatantra (Surgery). On the basis of this course, the graduates of Ayurved are registered for practising. There is no restriction or ban for practising Surgery by Ayurved graduates in the country.

Taking into consideration the difficulties encountered in implementing the teaching programme in the subject of Shalaya and Shalakyatantra particularly the practical training, a committee consisting of following members was constituted to go into depth to study the problems and suggest the ways and means for the same within three months and the committee was also entrusted with a task of reviewing Post-graduate programme;-

1. Dr. S.P. Gupta
2. Dr. G.L. Sharma
3. Dr. L.M. Singh
4. Dr. Krishna Bhatt
5. Vaidya K.K. Pandey

The Central Council did not agree to make any change in the duration of Post-graduate course in Ayurved at present.

The Vivekanand Nursing Home, Rahuri was permitted to start and conduct Ayurvedacharya course. It was also decided that the shortcomings pointed out by the visitors be sent to the institution for necessary action. The compliance report be called for after one year and the progress made by the institution be assessed and verified after receipt of compliance report.

The Ayurved Mahavidyalaya run by Arogya Mandal Hadapsar, Pune was permitted to start and conduct Ayurvedacharya course. It was also decided that the shortcomings pointed out by the visitors be sent to the college for necessary action. The compliance report be called for after one year and the progress made by the institution be assessed and verified after receipt of compliance report.

The visitation report of Dhanwantri Ayurved Mahavidyalaya, Chandigarh was considered by the Central Council. On the recom-

mendations of the visitors it was decided that the college can be approved by the CCIM to conduct Under-graduate Course of Ayurveda subject to the condition that the authorities of the college shall remove the deficiencies in respect of staff and equipment etc. as per norms laid down by the CCIM in phased manner and the institution is affiliated with University in the area with a period of five years.

The Central Council noted that there are some irregularities in the conduct of the Ayurvedacharya course at Bihar and Darbhanga University. These two universities and State Govt. are defying regulations inspite of repeated letters and warnings from the Council. Under the above circumstances, the Central Council unanimously resolved to initiate appropriate action.

The Central Council resolved that a letter be written to all State Govts. intimating that if a student of an Ayurved College is migrated to other university no domicile certificate be asked for by the State Government concerned.

The Central Council after going through the visitation report of Seth Govindji Raoji Ayurved Mahavidyalaya, Sholapur resolved to suspend the admission in Post-graduate course, till the deficiencies are removed and shortcomings are fulfilled by the College.

The Central Council of Indian medicine noted the poor condition of Ayurved Mahavidyalayas of UP and decided to send a strong letter to the Secretary, Govt. of UP, Department of Health, Director of Ayurved and Registrar, Kanpur University enclosing a copy of the minimum requirements laid down by the CCIM for their fulfilment.

The following institutions/Ayurvedic colleges were visited during the year to assess the minimum standards and requirements for imparting Under-graduate/Post-graduate education in conformity with regulations prescribed by the Central Council:

S. No.	Name of College	Date of visitation	UG/PG
	Utkal University		
1.	Gopabandhu Ayurved College, Puri	9.4.90	
	Himachal Pradesh University		
2.	Govt. Ayurved College, Paprola	18.6.90	UG
	Kuvempu University		
3.	ALN Rao Memorial Ayurvedic College, Koppa	2.7.90	UG

	Punjab State Faculty of AUSM		
4.	Shri Dhanwantri Ayurved College, Chandigarh	9.8.90	UG
	Dr. MGR University		
5.	Venkataramana Ayurvedic College, Madras.	27.8.90	UG
	AP University of Health Sciences		
6.	SV Ayurvedic College, Tirupati	7.9.90	UG
	University of Mangalore		
7.	Shri Dharmasthala Manjunatheswara College of Ayurveda, Udupi	18.9.90	UG
	University of Poona		
8.	Vivekanand Nursing Home, Ahmednagar	26.10.90	UG
9.	Maharashtra Arogya Mandal, Hadapsar	28.10.90	UG
	Amravati Vishwavidyalaya		
10.	Shri Gurudev Ayurved Mahavidyalaya, Amravati	22.12.90	UG
11.	Vidarbha Ayurved Mahavidyalaya, Amravati	23.12.90	UG
12.	Shri Radha Krishna Toshniwal Ayurved Mahavidyalaya, Akola	24.12.90	UG
13.	DMM Ayurved Mahavidyalaya, Yeotmal	23.12. 90	UG

UNANI

The Central Council noted that in the regulations pertaining to Post-graduate education in Unani Tib prescribed by the Central Council of Indian Medicine under the provision of examination and assessment, the details of examinations and mark have not been prescribed. The Central Council constituted a Sub-Committee consisting of the following members to prepare the draft syllabus and scheme of examination for the post-graduate course of Mahir-e-Tib MD (Unani):-

1. Prof. Hakim M. Taiyab
2. Hakim Mohd. Ahmad Lari
3. Hakim Abdul Mobin Khan
4. Hakim S.K. Khadri

The Central Council constituted a Sub-Committee consisting of the following members to formulate a three months course for Nurses in Unani Medicine:-

1. Hakim S.K. Khadri
2. Hakim Faiyaz Alam
3. Hakim Bansilal Pandit

The Central Council felt that there is no necessity of reservation of seats for women candidates in view of the fact that the number of women candidates willing to undertake Post-graduate study in Unani is limited and interested candidates normally are admitted in the various courses offered by the institutions concerned.

The Central Council after going through the minutes of the meeting of the Board of Studies in Unani Medicine of Dr. MGR University, Madras, regarding regulation of Unani Medicine decided that the Sub-Committee consisting of the following members may examine the regulation received from Dr. MGR University and submit its recommendations in the next meeting of Education Committee (Unani):-

1. Prof. Hakim M. Taiyab
2. Hakim Mohd. Ahmad Lari
3. Hakim Abdul Mobin Khan
4. Hakim S.K. Khadri

The Central Council agreed that Aligarh Muslim University be advised to adopt the modified designation of the post of Demonstrator to Lecturer and lecturer to Senior Lecturer in conformity with UGC recommendations in order to overcome their problems.

The Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College was allowed to admit students till the academic year 1991-92 and shortcomings be pointed out to the institution. Another visitation be carried out after one year to assess the fulfilment of shortcomings. The Rajasthan University may also be informed accordingly.

The Salfia Unani medical College Darbhanga was permitted to conduct Under-graduate course of Unani for further period upto academic session 1992-93 subject to the condition that the shortcomings pointed out shall be removed within two years and re-assessment of the improvement made at the institution will be done periodically by the Central Council.

The Rajasthan Unani Medical College, Jaipur was permitted to admit 10 additional students from the academic year 1990-91 subject to the condition that before admitting the students, it may be ensured that the terms and conditions particularly with regard to the number of

beds in the hospital to follow the students bed ratio at the time of admission of the students are fulfills.

The Central Council agreed to the recommendations of the Unani Committee to write a letter to Govt. of Maharashtra and University concerned informing that the Central Council has no objection for starting the Unani college at Taj Tibbia College in Nagpur provided the terms and conditions, for admission and other requirements mentioned under the minimum standard laid down by the Central Council for imparting Under-graduate education in Unani Tib are followed strictly.

It was decided that as the pattern of seven departments has been recommended by the Central Council, at least seven Boards of Studies should be constituted under the faculty of Unani/ISM in the University.

The Central Council noted with great concern that AP University of Health Sciences, Vijayawada is not following the norms, including medium of instructions and examination laid down by the CCIM relating to admission to the Pre-Tib course and main course of Unani Tib. The Central Council strongly reiterates that the University and the AP Govt. may again be requested in the matter. It was decided that visitation of the Colleges under this University may be carried out at an early date.

In the meantime (since the matter is in the court) the Secretary is advised to write to Sri I. Kotty Reddy Standing Counsel for Central Govt. requesting him to file a counter affidavit on behalf of the CCIM in respect of the Pre-Tib and BUMS Course run by Dr Abdul Haq Unani Medical College affiliated to AP University of Health Sciences, Vijayawada, the case relating to which is pending in the AP High Court vide Petition No. 395 of 1990.

The Central Council agreed to the recommendation of Unani Committee that the details of all oriental qualifications approved by the Central Council for admission to Pre-Tib course in Unani Tib be obtained for verification whether these are equivalent to Matric/Higher Secondary or not.

The Central Council decided that the office of the CCIM should try and write again to obtain information regarding the uniformity in knowledge of Urdu at the time of admission to Unani degree course from the remaining college as early as possible and thereafter a statement be prepared giving all the necessary information and place

before the next meeting of education Committee (Unani) for in-depth discussion and reconsideration.

VISITATION OF COLLEGES

The following institutions/Unani Colleges were visited during the year to assess the minimum standards and requirements for imparting Under-graduate education in conformity with regulations prescribed by the Central Council:-

S. No.	Name of College	Date of visitation	UG/PG
	Rajasthan University		
1.	Rajputana Ayurved & Unani Tibbia College, Jaipur	29.7.90	UG
2.	Rajasthan Unani Medical College, Jaipur	29.12.90	UG
	Nagpur University		
3.	Taj Tibbia College & Rasheedia Hospital, Nagpur	28.6.90	UG
	University of Bihar		
4.	Salfia Unani Medical College & Hospital, Darbhanga	17.7.90	UG
5.	Z.H. Unani Medical College & Hospital, Siwan	9.2.91	UG

SIDDHA

1. The Central Council noted that the revised curriculum of Post-graduate diploma course in Siddha Medicine was approved by the Central Council at its meeting held on 14 to 16th February, 1990. The staffing pattern was not included in Branch VI Rasavatham Arignar (Diploma in Rasavatham) of the Post-graduate Diploma course of Siddha Medicine.

It was resolved that the staffing pattern for each Department has already been recommended under the curriculum for Post-graduate course in Siddha. The Branch VI Rasavatham Arignar (Diploma in Rasavatham) is a special branch and this requires a post of Lecturer in Chemistry and one post of Lecturer in Bio-Chemistry. This can be added as a note in the curriculum under the pattern of staff at page No. 9.

The Central Council noted that the details of Sirappu Maruthuvam and Kuzhanthai Maruthuvam specialities of Post-graduate courses were sent to the Ministry of Health & Family Welfare for sanction as required under Section 36 of IMCC Act, 1970. The Ministry of Health & Family Welfare had sent some observation on the above proposed specialities. The Central Council considered the observations of the Ministry of Health & Family Welfare and revised the Syllabus of both the specialities in comparison with the Post-graduate course of Ayurved and Unani prescribed by the Central Council. The approved details of the above specialities were forwarded to Ministry of Health & Family Welfare for sanction.

GENERAL

The Central Council decided that a National Conference on Medical Ethics be convened and the practitioners of the ISM, other Systems of Medicine and Medical Law be invited.

The Central Council appreciated the efforts of Govt. of India in solving the problems of ISM education by conducting the workshop on 20-21st November, 1990 and urged upon the Government to implement the decision at the earliest.

The Central Council noted with great concern that Motor Vehicle Departments in various States do not recognize medical certificate of fitness issued to driver and conductors by the ISM practitioners holding the recognised medical qualifications included in the Schedules to the IMCC Act, 1970. The Central Council of Indian Medicine wants to point out that this is violation of Sub-Section 2 (e) of Section 17 of the IMCC Act, 1970. It was also noted that some other Governments and other departments i.e. Railway, LIC, Bharat Heavy Electricals Ltd., Universities also do not accept medical certificate issued by the duly qualified practitioners of ISM.

The Council took a serious view of this and requests the Govt of India to see that needful is done in the matter so that henceforth the duly qualified practitioners of ISM do not face this difficulty. The President, CCIM was authorised to write a letter to all State Govt. Health Departments that CCIM members should be invited to the ISM meetings of various Committees of their respective States.

The Central Council decided that the activities of the Central Council for Research in Ayurveda and Siddha and Central Council for Research in Unani Medicine should be made known to the Central Council members in the larger interest of Indian Medicine. These Research Councils be requested to send their News Bulletin, Annual Report etc. to the members of Central Council of Indian Medicine.

The Central Council agreed that gist of visitation reports be circulated to the members alongwith Agenda Items so that they may

be aware of facts put in visitation report.

It was noted that the following resolution passed by the Central Council at its meeting held on 10th and 11th March, 1989 was forwarded to the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi for necessary action.

"देश में स्थित भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारों के अधीन चल रहे ऐलोपेथ के बड़े-बड़े अस्पतालों तथा विशेषतः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक साधन सुविधा सम्पन्न वार्ड आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिए भी स्थापित किया जाए ताकि वहां सुयोग्य आयुर्वेदज्ञों की देख रेख में गम्भीर रोगियों को आयुर्वेद की चिकित्सा सुलभ कराई जाए।"

The All India Institute of Medical Sciences, New Delhi forwarded the following resolution passed by the Hospital Management Board of Institute at its meeting held on 14.5.90:-

"The Board decided that it is not feasible to provide a fully equipped ward for special Ayurvedic treatment due to constraints of space, staff and finance. The Institute is however, open to the collaboration of two systems."

The Central Council decided to intimate the CCRAS & CCRUM with regard to the intention of All India Institute of Medical Sciences for the collaboration of the two systems.

A Joint meeting of State Directors of ISM Chairmen/Presidents and Registrars of State Boards/Councils alongwith Office Bearers, Members of the Executive Committee and Registration Committee was organised by the CCIM on 14th and 15th January, 1991 at Hyderabad. The meeting was inaugurated by Prof. Shakeelur Rehman, Union Minister for Health & Family Welfare, Govt. of India, Prof. Hakim Syed Khaleefathullah, President of the Council. The Joint meeting considered the various issues pertaining to the ISM. The recommendation made at the above Joint meeting are as under:-

I UNIFORMITY IN RECOGNISED MEDICAL QUALIFICATIONS OF INDIAN MEDICINE--AMENDMENTS TO STATE ACTS OF INDIAN MEDICINE

It was viewed that after enactment of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) which extends to whole of India, the Ministry of Health & Family Welfare vide their letter No. V. 26025/8/80-AE dated 24/27th June, 1980 requested all State Govts./Union Territories Administrations to examine whether provisions in their

relevant State Acts on matters relating to practice and education in Indian Systems of Medicine are in parity with provisions of the aforesaid Central Act. If not, the State Governments were requested to consider the question of bringing the State Acts in conformity with the Central Act under intimation to the Ministry.

When the desired result was not achieved and the Schedules of recognised medical qualifications of Indian Medicine was also not brought in conformity with the Schedules of Central Act, the Ministry of Health & Family Welfare vide their letter No. H 11013/2/81-AE dated 26.3.82 requested all the State/Union territories Government to initiate immediate action to amend their State Acts so as to bring the Schedule of qualifications therein in consonance with the qualifications recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970. Even though the Schedules of the State Acts are deemed to have superseded after enforcement of the Central Act, it was considered necessary and prudent to carry out the amendments to the State Acts so that their Schedules of recognised medical qualifications and other provisions are brought in conformity with the Central Act. It was, therefore, most imperative that immediate steps were to be taken in this regard to avoid confusion and errors.

The above letter also explained in detail the other complications arising out due to non amendment in the State Acts for preparation of Central Register of Indian Medicine.

The Directors of various States and Presidents/Chairmen/Registrars of State Board participated in the deliberation and expressed their views and difficulties. Thereafter the following resolution was passed:-

"Taking into consideration the various difficulties encountered in implementing the specific provisions of the Central and the State Acts as perceived by the Parliament and State Legislatures, the Joint Meeting unanimously decided to undertake the task of making necessary alterations in individuals State Acts to bring the same in line with the IMCC Act, 1970 without altering the basic provisions like retaining the names of the practitioner enrolled on the State Register of Indian Medicine, structure of the Schedules of qualifications, advisory and representative status etc. hence, unanimously resolved that the present State Boards/Councils should function as branches of Central Council of Indian Medicine and urges upon the concerned authority to take necessary steps in this regard.

It was also suggested that the CCIM should convene Zonal

meetings of the State Boards/Councils to work out the necessary addition/deletion in the State Acts and sort out other problems of ISM at the earliest."

II. TO CHECK UNAUTHORISED PRACTICE IN INDIAN MEDICINE BY UNREGISTERED/UNQUALIFIED PERSONS

It was noted that after enforcement of Section 14 of IMCC Act, 1970 with effect from 15.8.71, the medical qualifications granted by University, Board or other medical institution in India included in the 2nd Schedule to the IMCC Act, 1970 are recognised medical qualifications. The holders of any of the qualifications are eligible for the rights and privileges envisaged under the said Act.

Any other qualification which is not included in the 2nd Schedule to the IMCC Act, 1970 is not recognised for any purpose. The persons who possess a recognised medical qualification included in the Schedules to the IMCC Act, 1970 are eligible to be registered/enrolled on any State Register of Indian Medicine for practice in Indian Medicine. A person on the basis of enrolment in a State cannot practice in other State. Inspite of the same it was observed that a large number of unqualified persons who are not registered with the concerned State Board/Council are doing unauthorised practice in Indian Medicine in various State/Union Territories. This problem has arisen due to lack of proper checking by the State authorities. Moreover, this problem has been compounded by not maintaining uniformity in recognised medical qualifications by certain State Boards/Councils. It also came to the notice that some self-styled institutions were still awarding degree as well as certificate of registration to practice Indian medicine.

The Central Council repeatedly warned the general public through advertisement in Newspapers of Hindi, English and all regional languages to be aware of such unqualified and unregistered persons (practitioners).

The State Governments/State Boards/Councils should play a vital role in the matter in the interest of their own people. The practice by unqualified/unregistered persons is a risk to the life of innocent people. This also effects the profession of unqualified practitioners.

The Central Council gone into depth of the matter and decided to make necessary amendment in Section 17 of the IMCC Act, 1970 as under:-

"Any person who acts in contravention of sub-section (2) shall

be punished with rigorous imprisonment of one year and a fine of Rs 10,000/-. If the same person is charged second time then rigorous imprisonment of two years and a fine of Rs 50,000/- shall be awarded. And, if charged third time, then he shall forfeit basic rights. The Central Council shall have powers to arraign such a person on its own or through a competent agency of the State, in the Court of Law."

After a great deliberation on the issue it was decided that in order to check unauthorised practice of Indian Medicine by unregistered practitioners, this Joint meeting agrees to and endorses the above penal clause.

It also urged upon the Central and State Govts. to introduce anti-quackery Bills with the provisions like declaring the offence as cognizable. The joint meeting also suggests that the CCIM should intensify its efforts to educate, awaken and create public opinion through all the available media.

III. TO CHECK THE MUSHROOM GROWTH OF COLLEGES/ INSTITUTIONS OF INDIAN MEDICINE

It was noted that the qualifications of some of the institutions included in the IMCC Act, 1970 are recognised upto a limited period. Some of these institutions are still awarding such qualifications beyond that period. The qualifications/certificates awarded by such unrecognised institutions are of no use. Actually, such institutions cheat the innocent public through their advertisements. In fact, some State Boards have encouraged them by granting registration to the persons who possess such unrecognised medical qualifications. Besides, it was observed that a large number of mushroom institutions attract the innocent public through their advertisements in newspapers to get the Degree/Diploma/Certificate awarded by them by charging huge amount as fee in various States and Union Territories.

The Central Council has repeatedly warned the general public through advertisement in Newspaper of Hindi, English and all regional languages to be aware of such institutions. It was also informed to the general public that only those colleges of Indian Medicine are genuine which are affiliated with the University of that area.

In view of the above facts brought to the notice of the Joint meeting, it was resolved unanimously that only the colleges recognised by Universities/State Government and the CCIM should be allowed to function. Other mushroom institutions should be stopped.

The joint meeting urges upon the CCIM to take necessary effective measures in this regard by adopting appropriate measures.

IV. OBSERVANCE OF PROFESSIONAL CODE OF ETHICS BY THE PRACTITIONERS OF INDIAN MEDICINE

The Central Council of Indian Medicine in exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 36 read with Sub-Section (1) and (2) of Section 26 of the IMCC Act, 1970, made the regulations for Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics to be observed by the practitioners of Indian Medicine called as "Practitioners of Indian Medicine (Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics) Regulations, 1982 and notified in the Gazette of India. These were circulated to all the State Govts. State Boards/Councils of Indian Medicine for implementation.

The Joint meeting reiterated the spirit of observance of the professional Conduct Etiquette and Code of Ethics as enunciated under the IMCC Act, 1970 and unanimously resolved that the State Boards/Councils should obtain signed declaration in Form A annexed to these regulations prior to issue of certificate of registration to a registered medical practitioner and also work out modalities to obtain the same declaration signed from practitioners registered earlier.

It was further suggested that the instructions be issued by the CCIM to (a) All the recognised Institutions of ISM to give due importance to the teaching of medical ethics; (b) to all public institutions and medical practitioners of ISM to display the declaration at prominent places; (c) to State Councils/Boards to arrange for organising conference to promote observance of medical Ethics at all levels; (d) to give publicity through possible media (e) to give a copy of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics together with the certificate of registration (f) to take necessary steps to ban advertisements in lay press by medical practitioners.

V EDUCATIONAL STANDARDS IN ISM AND MAINTENANCE OF UNIFORMITY THEREOF

One of the main objects of the Council is to prescribe minimum standards of Education in Indian Medicine.

The Central Council of Indian Medicine have prescribed the Regulations pertaining to minimum standards of education including curricula and syllabi for ISM. These regulations were notified in the Gazette of India and circulated to all Universities having Faculty of

Ayurved/Unani/Siddha and institutions imparting ISM education for their implementation. Gradually the universities and ISM institutions adopted and implement these minimum standards of education. At present there is no Under-graduate course of ISM other than the courses prescribed by CCIM.

The Central Council also prescribed minimum standards of Postgraduate education for the purpose of uniform pattern of education for implementation all over the country. Accordingly, some of the institutions have developed their departments and started postgraduate courses in different specialities prescribed by CCIM. At present 24 institutions of Ayurved, 2 institutions of Unani and one institution of Siddha have adopted the pattern of Post-graduate courses prescribed by CCIM.

The joint meeting endorsed the policy of CCIM of implementing their programme concerned with enforcement of the minimum standards of education and unanimously resolved that the institutions not adhering to the prescribed norms be given notices under Section 21 of IMCC Act, 1970 under intimation to the Health Secretaries, Directors of ISM and concerned universities and further urged that in no case permission to start post-graduate course in any subject be given unless and until the institution fulfills all the norms and criterion laid down by CCIM for the Under-graduate courses.

VI MAINTENANCE OF THE CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE.

As per Section 23 of the IMCC Act, 1970 the Central Council shall cause to be maintained in the prescribed manner, a register of Indian Medicine to be known as the Central Register of Indian Medicine which shall contain the names of all persons who are for the time being enrolled on any State Register of Indian Medicine and who possess any of the recognised medical qualifications.

The State Register with complete information in respect of Kerala and Uttar Pradesh have not been received so far inspite of repeated reminders. Therefore, it is not possible to prepare the Central Register of these States. Even complete copy of State Register has not been received from Bihar.

It was noted that once the Central Register of Indian Medicine upto 1986 is published in the Gazette of India, the further work of preparation for central Register upto period 1990 will be taken in

In view of the above, the State Boards/Councils should supply three printed copies of State Register of Indian Medicine (bilingual) to the Central Council in the proforma prescribed by the CCIM in time as per Section 24 of the IMCC Act, 1970.

This Joint meeting expressed its appreciation to the efforts of CCIM in preparation of the Central Register of Indian Medicine for the practitioners of ISM and unanimously resolved that the mechanism and modalities to prepare live State Registers should be initiated at the level of State Boards/Councils and further suggested that the CCIM should adopt appropriate measures to get the same completed as per Schedule.

The Central Govt. on the advice of the Central Council notified various medical qualifications of ISM in the Gazette of India for inclusion in the Second & Fourth Schedule to the IMCC Act, 1970. During the year, following medical qualifications awarded by Universities/institutions mentioned against each were included in the Second and Fourth Schedule to the IMCC Act, 1970:-

SECOND SCHEDULE

S.No.	Name of awarding body	Qualification	Year
1.	Ravishanlar Vishvidyalata	Doctor of Ayurvedic Medicine, D.Ay.M.	From 1977 to 1978
		Doctor of Medicine (Ayurved)	From 1979 to 1981
		Ayurved Vachaspati-MD (Ayurved) (Kayachikitsa)	From 1982 onwards
2.	Poona University, Pune	Kamil-e-Tib-O-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) BUMS	From 1988 onwards

FOURTH SCHEDULE

1.	Govt. College of Indigenous Medicine, University of Colombo, Sri Lanka	Diploma in Indigenous Medicine & Surgery (Ayurvedic/Siddha/Unani)	DIMS	Upto 1960
		Diploma in Ayurvedic Medicine & Surgery (Ayurved/Unani/Siddha)	DAMS	From 1961 to 1976

2.	Institute of Indigenous Medicine, University of Colombo, Sri Lanka	Diploma in Ayurvedic Medicine & Surgery (Ayurvedic/Unani)	DAMS	From 1977 to 1987
		Diploma in Ayurvedic Medicine & Surgery (Siddha)	DAMS	From 1977 to 1984
3.	University of Jaffna, Sri Lanka	Diploma in Ayurvedic Medicine & Surgery	DAMS	From 1984 to 1987

The Council maintains minimum standards of institutions/colleges of ISM by carrying out visitation through the visitors of the Council to assess the availability of minimum standards and requirements as laid down by the Central Council in relation to departments, teaching staff, student bed ratio, laboratory facilities, Building, Herb Garden, Pharmacy and Hospital facilities, etc.

The Central Council noted that the facilities of the CGHS Scheme were extended to the employees of the Central Council of Indian Medicine. The Central Council placed on records the efforts of the President in obtaining the Government's approval.

The Central Council decided that comprehensive scheme for upgradation of existing incumbents on various posts under various categories be prepared by the office in the first instance, so that promotion avenues are made available to the existing incumbents working in the Council for more than 18 years in the same post.

The Central Council noted that the pay scale of Accountant in the Central Council was revised by the Executive Committee of the Council at its meeting held on 1.10.84 but the revised pay scale was implemented only with effect from 1.4.86.

The Central Council resolved to give the revised scale of pay to Accountant from the date of the meeting of the Executive Committee i.e. 1.10.84.

The Central Council revised the pay scale of Asstt. Registrar (Ayurved & Unani) from 2000-3500 to Rs 2200-4000.

The Central Council revised the pay scale of Asstt. Registrar (Adm. & Registration) from Rs 2000-3500 to 2200-4000 with effect from 2.1.86 and 1.1.87 respectively as the work being handled by these two Asstt. Registrars was of very important nature and responsibility. Besides their responsibilities are of much higher important nature than their scale of pay.

The Central Council noted the purchase of a computer worth Rs 1.47 lakh from HCL Ltd., New Delhi by adopting the proper procedure and approved.

The Central Council noted that the interest on subscription of employees for the GPF is met from Grant-in-aid (Plan & Non-Plan).

It was pointed out in the Inspection Report 1989-90 of Audit that under the expenditure side of the Income and Expenditure Account, a sum of Rs 40,657/- was shown under the head Interest to GPF. This expenditure represents interest which has been credited into accounts of subscribes and was changed from the Govt. Grant of Plan 1989-90. This expenditure should have been met from both Plan & Non-Plan proportionately."

The Ministry of Health & Family Welfare was requested for additional Grand-in-aid under Non-Plan on 13.3.90 but the amount was released under Plan by the Govt. so the total Interest on G.P. Fund for Plan & Non-Plan was met out from Plan. The Central Council approved the above.

The Central Council approved the expenditure of Rs 16,906.00 on printing of 300 copies of Annual Report & Audited Accounts of 1987-88 as desired by the Internal Audit Party of the Ministry of health & Family Welfare, New Delhi during Audit in September, 1990.

BUDGETARY RESOURCES

	Non-Plan	Plan
Revised Estimates 1990-91 (Approved by the Council)	15,56,785.76	8,43,154.79
Revised Estimates 1990-91 (Released by the Ministry)	14,50,000.00	7,50,000.00
Budget Estimates 1990-91 (Approved by the Council)	19,79,200.00	39,00,000.00
Budget Estimates 1990-91 (Sanctioned by Ministry)	15,00,000.00	6,00,000.000

The Central Council approved the 8th Five Year Plan 1990-95 amounting to Rs 162.73 lakh and Annual Plan 1991-92 amounting to Rs 10.30 lakh which has already been sent to the Central Government.

The Central Council is a small organisation. However, every care is taken to ensure that the reservations made by the Government

of India for different categories are maintained. Out of 35 employees of the Central Council, the reservation made for different categories is as under:-

Schedule Caste	Four
Schedule Tribe	One
Physically Handicapped	Two
Ex-Servicemen	One

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT-I CENTRAL REVENUE, NEW DELHI

Confidential

No.OAD IV/SAR/CCIM/91-92 Dated:19.2.92

To,
The Secretary to the Government of India,
Ministry of Health & Family Welfare,
Nirman Bhawan, New Delhi.

Sub.: Audit Report on the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1990-91

Sir,

I am to enclose a copy of the certified annual accounts of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1990-91 together with the Audit Report thereon and Audit Certificate for being laid on the table of Parliament.

Two copies of the documents as presented to the Parliament may please be furnished to this office and also to the office of the Comptroller and Auditor General of India indicating the date on which these were presented to Parliament.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully

Sd/-

Deputy Director of Audit (Inspection-II)

Encl: As above

No.OA IV/SAR/CCIM/91-92/460

Copy together with a copy of the certified annual accounts, the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to the Secretary, Central Council of Indian Medicine, 1E/6, Swami Ramtirath Nagar, New Delhi for necessary action with reference to their letter No.10-10/91-Accts. dated 21.1.92. The date on which the certified annual accounts are considered by the Governing Body may please be intimated to this office alongwith supporting documents. Five copies of the Hindi version of the Certified annual accounts may also be supplied to this office at the earliest.

Sd/-

DEPUTY DIRECTOR OF AUDIT
(INSPECTION-II)

NO. OA IV/SAR/CCIM/91-92

Copy together with a copy of the certified annual accounts, the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to Sh. Saroop Singh Administrative Officer, (Rep-AB), office of the Comptroller & Auditor General of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi with reference to Headquarter's Office letter No.27-Report (Swa-Ni.)/10-92 dated 28.1.92.

A statement incorporating replies to Headquarters comments/observations is also enclosed.

This issues with the approval of D.A.C.R.-I.

Sd/-

DEPUTY DIRECTOR OF AUDIT

(INSPECTION-II)

Encl: As above

Audit Report on the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1990-91.

1.	**INTRODUCTION**	**COMMENTS OF THE COUNCIL**
	The Central Council of Indian Medicine (Council) was eastalished in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the objectives of prescribing minimum standards of education for courses in Indian system, maintenance of Central Register of Indian Medicine etc. and other matters connected therewith. The accounts of the Council are audited under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Services) Act, 1971. The Council is financed mainly by grants from Government of India. The Council received grants amounting to Rs.22.00 lakh (Rs. 14.50 lakh under Non Plan and Rs. 7.50 lakh under Plan)during 1990-91.	No comments
2.	**Annual accounts** **Assets not shown in the balance sheet** The Council had seven telephones installed during January, 1973 to August, 1988. However, security deposits made with the Telephone Department amounting to Rs. 0.27 lakh were not shown as assets of the Council in the balance sheet for 1990-91 and in the accounts of any of the earlier year. Further, the amount of security deposits made by the Council in these years was charged as expenditure of the Council under the final head instead of securities in the receipt and payment account of those years. The Council stated, in January 1992, that the necessary correction would be made and actual amount of security of telephones would be shown in the asset side of the balance sheet in 1991-92.	Necessary calculation would be made and the actual amount of security deposit of telephones would be shown in the annual accounts 1991-92
3.	**Pension cum Gratuity scheme** Pension-cum Gratuity scheme including family pension scheme was introduced in the Council with effect from April, 1983. According to the terms and conditions of the scheme, the Pension Fund was to be created from the funds already available on account of employer's contribution to Contributory Provident Fund together with interest that may accrue on investment of such funds and no additional grants for augmenting the Pension Fund were to be released by Central Government. The Council had, however, transferred Rs. 2.62 lakh as employer's contribution during 1983-84 to 1990-91, including Rs.0.57 lakh during 1990-91. No specific sanction had been issued by the Ministry to regularise the transfer of funds. The irregular transfer of funds during 1983-84 to 1989-90 was also commented upon in Audit Reports for 1987-88, 1988-89 and 1989-90. The Council	The Council is transferring the fund according to the modalities and rules as approved by the Executive Committee of the Council as well as Ministry of Health & Family Welfare vide their lewtter No, Z.28015/52/88/ISM dated 27.1.1989. The Ministry of Health & Family Welfare was requested for separate approval to regularise the transfer of funds.

stated, in January 1992, that the Council was transferring the fund according to the modalities and rules as approved by the Executive Committee of the Council as such no separate approval of the Ministry was necessary.

4. **Non-maintenance of Central Register of Indian Medicine**

The Council was required to maintain a Central Register of Indian Medicine which should contain the names of all persons who were, for the time being, enrolled on any State Register of Indian Medicine and who possessed any of the recognised medical qualifications. Such a Register was deemed to be a public document within the meaning of the Indian Evidence Act 1872 and may be proved by a copy published in the Gazette of India. As per the provisions of the Act, each State Board was to supply to the Central Council three printed copies of the State Register of Indian Medicine as soon as may be after the commencement of this Act in 1970 and subsequently after the first April each year. The State Council was also to inform the Central Council without delay of all additions to and other amendments in the State Register of Indian Medicine made from time to time. It was observed that the Central Register of Indian Medicine had not been maintained by the Council

No comments.

since its constitution in 1971 even though it was one of the main objects of the Council. Thus, the Council failed to discharge its statutory responsibility even after a period of two decades. The Council stated, in July, 1991, that the Ministry had sanctioned the necessary staff for the preparation of the Central Register only in 1986. The Council also stated that out of 21 State Boards spread over 18 State in the Country, information had been received pertaining to 16 States, except Kerala and Uttar Pradesh. It further stated that the Central Register of Indian Medicine pertaining to 12 States (Assam, Andhra Pradesh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa, Punjab, Tamil Nadu and West Bengal) had been sent for Gazette Nofitication and that of the remaining four States (Bihar, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan) were likely to be sent to the press for notification very soon. It was, however, observed that there was delay ranging from 22 to 36 months in sending the State Registers received from 7 out of 12 States for Gazette Notification. The Council stated, in January 1992, that the Central Register of Indian Medicine pertaining to 9 States (Andhra Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Orissa, Punjab, Tamil Nadu and West Bengal) had

published in the Gazette of India. The Central Register of Indian Medicine pertaining to 7 States (Delhi, Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan and Bihar) had already been prepared and sent for Gazette Notification. As such the Council had achieved its target to maintain the Central Register.

5. **Outstanding Inspection Reports**

At the close of audit for the year 1990-91 three Inspection Reports with five paras were outstanding as detailed below:-

Compliance will be shown to next audit.

S.No.	Year of Inspection Report	Number of paras outstanding
1.	1987-88	1
2.	1988-89	1
3.	1989-90	3
		5

Sd/-
Director General of Audit
Central Revenues

Place: New Delhi

Date:

Audit Certificate

I have examined the Receipt and Payment Account/Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 1991 and the Balance Sheet as on 31st March 1991 of Central Council of Indian Medicine, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Central Council of Indian Medicine according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd/-
Director General of Audit
Central Revenues

Place: New Delhi

Date:

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1991

RECEIPTS	NON-PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
1. Opening Balance as on 1.4.1990				
Cash in hand	77.00		—	
Cash at Bank	95,021.79		25,195.07	
Stamps in hand	78.10		—	
Stamps in Franking Machine	1,274.42	96,451.31	—	25,195.07
Grant-in-aid received from Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi during 1990-91		14,50,000.00		7,50,000.00
2. Income other than Grant-in-aid				
Sale of Unserviceable articles	3,000.00			
Sale proceeds of Raddi	189.00			
Misc. receipts from employees	2,970.00			
Application Fees	339.00			
Interest of G.P.F.	35.474.77			
C.G.H.S. Facilities	95.00	42,067.77		
3. Recovery of Advance				
Festival Advance	8,440.00		1,520.00	
Scooter Advance	12,260.00		4,800.00	
Car Advance	—		15,000.00	
House Building Advance	—	20,700.00	15,600.00	36,920.00
4. Miscellaneous Remittances				
General Provident Fund	2,29,100.00			
Income Tax	8,876.00			
Group Insurance Scheme	11,715.00	2,49,691.00		

PAYMENT	NON-PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
1. Pay & Allowance				
Pay of Officers	48,625.00			
Pay of Establishment	5,26,899.00			
Non-Practising Allowance	31,755.00			
Dearness Allowance	2,43,828.00			
House Rent Allowance	1,38,409.20			
City Comp. Allowance	22,683.60			
Washing Allowance	1,328.00			
Conveyance Allowance (H. Cap.)	1,382.00			
Extra duty Allowance	890.80			
Tuition Reimbursement	720.00			
Medical Reimbursement	13,115.50			
C.G.H.S. Facilities	6,606.00			
Leave Travel Concession	15,243.25			
Bonus	32,508.90			
Remuneration PA to President	6,250.00	10,90,244.25	—	—
2. CONTINGENCIES				
(a) Recurring Expenditure				
Stationery	14,829.24		17,817.43	
Postage & Telegrame	11,739.61		—	
Electric charges	4,760.50			
Water Charges	413.95		—	
Building Rent	56,400.00		—	
Telephone	40,258.00		11,873.00	
Legal Expense	—		3,575.00	
Newspaper & Periodical				
Books	2,192.40		—	
Audit Fee	13,300.00		—	
Maintain. of office equip.	11,254.30		—	
Conveyance Expenses	4,764.50		—	
Sundries Expenses	29,822.60		53,374.55	
Liveries Expenses	1,416.60		—	
Printing Expenses	—		10,120.00	
Advertisement	—		6,790.00	
Publication	—	1,91,151.70	1,74,125.00	2,77,674.98

Balance B/F	**18,58,910.08**	**8,12,115.07**

Balance B/F		12,81,395.95	2,77,674.98	
(b) Non-Recurring Expenditure				
Books for Library	2,756.00		—	
Furniture & Fixture	—		10,376.30	
Office Equipments	—	2,756.00	27,740.60	38,116.90
3. Travel Expenses				
President/Vice President	—		29,960.00	
Secretary/Establishment	—		24,114.30	
Members of Council	—		1,58,066.00	
Members of Executive Committee	—		46,958.50	
Members of Edu. Committee (Ay)	—		10,242.00	
Members of Edu. Committee (Unani)	—		37,493.00	
Members of Edu. Committee (Siddha)	—		727.00	
Members of Regulation Committee	—		21,739.50	
Members of Registration Committee	—		48,937.00	
Members of Sub Committee	—		3,538.00	
Members of Visiting Committee	—		33,126.50	4,14,901.80
4. Payment of Advance				
C.G.H.S, Advance	367.00			
Festival Advance	9,640.00			
L.T.C. Advance	2,430.00			
Scooter Advance	23,000.00	35,437.00		—
5. Miscellaneous Remittances				
General Provident Fund	2,29,100.00			
Income Tax	8,876.00			
Group Insurance Scheme	11,715.00	2,49,691.00		—
6. Contribution towards Pension		56,622.00		—
7. Interest to General Provident Fund		53,013.00		—
8. Seminar Expenses		45,119.00		—
9. Closing Balance as on 31.3.91				
Cash in hand	10,564.85		—	
Cash at Bank	1,23,237.67		81,421.39	
Stamps in hand	17.10		—	
Stamps in Franking Machine	1,056.51	1,34,876.13	—	81,421.39

CENTRAL COUNCIL OF
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR

EXPENDITURE	NON-PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
1. Pay & Allowance				
Pay of Officers	48,625.00		—	
Pay of Establishment	5,26,899.00		—	
Non-Practising Allowance	31,755.00		—	
Dearness Allowance	2,43,828.00		—	
House Rent Allowance	1,38,409.20		—	
City Compensatory Allowance	22,683.60		—	
Washing Allowance	1,328.00		—	
Conveyance Allowance	1,382.00		—	
Extra Duty Allowance	890.80		—	
Tuition Reimbursement	720.00		—	
Medical Reimbursement	13,115.50		—	
C.G.H.S. Facilities	6,606.00		—	
Leave Travel Concession	15,243.25		—	
Bonus	32,508.90		—	
Remuneration PA to President	6,250.00	10,90,244.25	—	
2. Contingencies				
Stationery	14,829.24		17,817.43	
Postage & Telegrams	11,739.61		—	
Electric Charges	4,760.50		—	
Water Charges	413.95		—	
Building Rent	56,400.00		—	
Telephone	40,258.00		11,873.00	
Legal Expenses	—		3,575.00	
Newspaper & Periodical Books	2,192.40		—	
Audit Fee	13,300.00		—	
Maintenance of Office Equip.	11,254.30		—	
Conveyance Expenses	4,764.50		—	
Sundries Expenses	29,822.60		53,374.55	
Liveries Expenses	1,416.60		—	
Printing Expenses	—		10,120.00	
Advertisement	—		6,790.00	
Publication	—	1,91,151.70	1,74,125.00	2,77,674.98

INDIAN MEDICINE
THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1991

INCOME	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during the year 1990-91	14,50,000.00		7,50,000.00	
Less-Grant Capitalised	2,756.00	14,47,244.00	38,116.90	7,91,883.10
Miscellaneous Receipts				
Sale of unserviceable articles	3,000.00			
Sale of Raddi	189.00			
From Employees	2,970.00			
Application Fees	339.00			
C.G.H.S. Facilities	95.00			
Interest of G.P. Fund	35,474.77	42,067.77		—

Balance B/F	**12,81,995.95**			**2,77,674.98**
3. Travel Expenses				
President/Vice President		29,960.00		
Secretary/Establishment		24,114.30		
Members of Council		1,58,066.00		
Members of Executive Committee		46,958.50		
Members of Edu. Committee (Ay)		10,242.00		
Members of Edu. Committee (Unani)		37,493.00		
Members of Edu. Committee (Siddha)		727.00		
Members of Regulation Committee		21,739.50		
Members of Registration Committee		48,937.00		
Members of Sub-Committee		3,538.00		
Members of Visiting Committee		33,126.50		4,14,901.80
Contribution toward Pension Fund	56,622.00			
Interest to General Provident Fund	53,013.00			
Excess of Income Over Expenditure	98,280.82			19,306.32
Total	**14,89,311.77**			**7,11,883.10**

Balance B/F	**14,89,311.77**	**7,11,883.10**
Total	**14,89,311.77**	**7,11,883.10**

Sd/-
Secretary
Central Council of Indian Medicine
New Delhi

CENTRAL COUNCIL OF
BALANCE SHEET AS ON

LIABILITIES	NON-PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
General Reserve				
Assets acquired the day of Est.		20,080.15		
Assets acquired out of Govt. Grant				
As per last balance sheet	2,43,182.31		5,15,683.14	
Add-Grant Capitalised	2,756.00		38,116.90	5,53,800.04
	2,45,938.31			
Less-Redeemed during the year	6,860.28	2,39,078.03		
Sub Total		2,59,158.18		5,53,800.04
Excess of Income over Expenditure				
As per last balance sheet	68,392.31		1,64,015.07	
Add Excess Income over Expend. during the year	98,280.82	1,66,673.13	19,306.32	1,83,321.39
Seminar				
As per last balance sheet	45,119.00			
Less Redemption during year	45,119.00	Nil		—
General Provident Fund		6,20,302.00		—
Pension Fund		4,31,404.87		—
Balance C/F		14,77,638.18		

INDIAN MEDICINE
31ST MARCH, 1991

ASSETS	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
Non Recurring Nature				
i) **Furniture & Fixture**				
As per last balance sheet	76,564.68		25,205.18	
Addition during the year	—	76,564.68	10,376.30	35,581.48
ii) **Books for Library**				
As per last balance sheet	25,624.01		—	
Addition during the year	2,756.00	28,380.01	—	—
iii) **Air Cooling Appliances**				
As per last balance sheet	38,537.53		26,789.80	
Addition during the year	—	38,537.53	—	26,789.80
iv) **Office Equipments**				
As per last balance sheet	1,22,536.24		4,63,688.16	
Less Redemption during the year	6,860.28		—	
	1,15,675.96		4,63,688.16	
Addition during the year	—	1,15,675.96	27,740.60	4,91,428.76
Sub Total		2,59,158.18		5,53,800.04
Recurring Nature				
Loans and Advances				
i) **Festival Advance**				
As per last balance sheet	5,560.00		1,520.00	
Addition during the year	9,640.00		—	
	15,200.00		1,520.00	
Less Recoveries during the year	8,440.00	6,760.00	1,520.00	Nil
ii) **Scooter Advance**				
As per last balance sheet	11,500.00		14,800.00	
Addition during the year	23,000.00		—	
	34,500.00		14,800.00	
Less Recoveries during the year	12,260.00	22,240.00	4,800.00	10,000.00
iii) **Car Advance**				
As per last Balance sheet	—		30,000.00	
Less Recoveries during the year	—	Nil	15,000.00	15,000.00

Balance B/F	**14,77,538.18**	**7,37,121.43**

Balance B/F		**2,88,158.18**		**5,78,800.04**
iv) House Building Advance				
As per last Balance Sheet	—		92,500.00	
Less Recoveries during the year	—	Nil	15,600.00	76,900.00
v) C.G.H.S. Advance during the year		367.00		—
vi) L.T.C. Advance during the year		2,430.00		—
Closing Balance as on 31.3.91				
Cash in hand	10,564.85			
Cash at Bank	1,23,237.67		81,421.39	
Stamps in hand	17.10		—	
Stamps in Franking Machine	1,056.51	1,34,876.13	—	81,421.39
General Provident Fund		6,20,302.00		—
Pension Fund		4,31,404.87		—
Total		14,77,538.18		7,37,121.43

CENTRAL COUNCIL OF GENERAL PROVIDENT FUND RECEIPTS AND PAYMENT

RECEIPTS	AMOUNT	AMOUNT
Opening Balance as on 1.4.90 in Saving Bank Account with Bank of India		19,749.00
Additional Subscription by Employees	89,544.00	
Subscription by Employees	49,786.00	
		1,39,330.00
Recovery of Loan from Employees		89,770.00
Interest earned from Bank on Saving Bank Account, Monthly Income Certificate and Special Deposit Scheme		35,474.77
Amount received from Council for Interest 1990—91		53,013.00
Monthly Income Certificate Matured		50,000.00
Total		3,87,336.77

INDIAN MEDICINE ACCOUNT FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1991

PAYMENTS	AMOUNT	AMOUNT
Loan granted to Employees		1,18,100.00
Final withdrawal to employees		55,000.00
Investment in Monthly Income Certificate		1,75,000.00
Interest transferred to Council		35,474.77
Closing of Balance as 31.3.91 in Saving Bank Account with Bank of India		3,762.00
Total		3,87,336.77

Sd/-
Secretary
Central Council of Indian Medicine
New Delhi

CENTRAL COUNCIL OF GENERAL PROVIDENT FUND

1989-90	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
	Employees Subscription		
3,65,130.87	As per last Balance Sheet	4,82,959.00	
1,17,028.00	Addition during the year	1,39,330.00	
4,82,158.87		6,22,289.00	
39,806.00	Less final withdrawal during the year	55,000.00	
4,42,352.87		5,67,289.00	
40,657.00	Add. Interest earned	53,013.00	
4,83,009.87		6,20,302.00	
50.87	Less transferred to Pension Fund	—	6,20,302.00
4,82,959.00			
4,82,959.00	**Total**		**6,20,302.00**

INDIAN MEDICINE
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1991

1989-90	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
19,749.00	In Saving Bank A/c with Bank of India		3,762.00
19,749.00			
	INVESTMENT		
	(a) Monthly Income Certificate		
50,000.00	As per Last Balance Sheet	1,50,000.00	
1,00,000.00	Addition during the year	1,75,000.00	
1,50,000.00		3,25,000.00	
—	Less-Redeemed	50,000.00	2,75,000.00
1,50,000.00			
	(b) Special Deposit Scheme		
1,70,500.00	As per Last Balance Sheet		1,70,500.00
1,70,500.00			
	(c) National Saving Certificate		
75,000.00	As per Last Balance Sheet		75,000.00
75,000.00			
	(d) Loan to Employees		
50,465.00	As per Last Balance Sheet	67,710.00	
1,12,700.00	Add. during the year	1,18,100.00	
1,63,165.00		1,85,810.00	
95,455.00	Less Recoveries during the year	89,770.00	96,040.00
67,710.00			
4,82,959.00	**Total**		**6,20,302.00**

Sd/-
Secretary
Central Council of Indian Medicine

CENTRAL COUNCIL OF PENSION-CUM-GRATUITY FUND RECEIPTS AND PAYMENT

RECEIPTS	AMOUNT
Opening balance as on 1.4.90 in Saving Bank A/C with Bank of India	14,145,78
Employer's Contribution	56,622,00
Interest earned from Bank on Saving Bank Account and Monthly Income Certificate	26,637.09
Monthly Income Certificate matured	35,000,00
TOTAL	1,32,404.87

INDIAN MEDICINE
ACCOUNT FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1991

PAYMENTS	AMOUNT
Investment in Monthly Income Certificate	1,27,000,00
Closing Balance as on 31.3.1991 in Saving Bank Account with Bank of India	5,404,87
TOTAL	1,32,404.87

Sd/-
Secretary
Central Council of Indian Medicine
New Delhi

CENTRAL COUNCIL OF PENSION-CUM-GRATUITY FUND

1989-90	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
2,80,307.51	As per Last Balance Sheet	3,48,145.78	
	Addition During the year		
50,245.57	Contribution	56,622.00	
17,592.70	Interest	26,637.09	4,31,404.87
3,48,145.78	**Total**		4,31,404.87

INDIAN MEDICINE
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1991

1989-90	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
			5,404.87
14,145.78	In Saving Bank account		
14,145.78	with Bank of India		
	INVESTMENT		
	(A) NATIONAL SAVING CERTIFICATE		
			1,20,000.00
1,20,000.00	As per last balance sheet		
1,20,000.00			
	(B) MONTHLY INCOME CERTIFICATE		
1,59,000.00	As per last balance sheet	2,14,000.00	
35,000..00	Less Redeemed	35,000.00	
1,24,000.00		1,79,000.00	
90,000.00	Addition during the year	1,27,000.00	3,06,000.00
2,14,000.00			
3,48,145.78	**Total**		4,31,404.87

Sd/-
Secretary
Central Council of Indian Medicine
New Delhi